

प्रह्लाद

(प्राच्यविद्याओं की वैमानिक शोध-यात्रिका)

(हिन्दी-दिवस-विशेषाङ्क)

सम्पादक

डॉ० विज्ञुबत्त 'रामेश'

संयुक्त-सम्पादक

डॉ० बिनोदचन्द्र सिन्हा

वर्ष १९८४]

(मार्च से सितम्बर तक)

[अंकु : २



गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

प्रधान संरक्षक
श्री बलभद्र कुमार हृजा
कुलपति

संरक्षक
श्री रामप्रसाद विजालेकार
आचार्य एव उप-कुलपति

प्रबन्ध सम्पादक
डॉ० राधेश्वाल बाल्डेय, जनसम्पर्क अधिकारी

व्यवस्थापक
बगदीक विजालेकार

प्रकाशक
बीरेन्द्र अर्होड़ा, कुलसचिव

विषय-सूची

क्रम संख्या	विषय	लेखक	पृष्ठ संख्या
१— वैदिक वर्णना		४० सत्यकाम विद्यालंकार	१
२— समादक की कलम से			२
३— देश की एकता की कड़ी हिन्दी		पश्चिमी छेषचन्द्र 'सुमन'	१०
४— हिन्दी अभियान की रचनात्मक दिशाएँ		डॉ० हरवशलाल शर्मा	१५
५— द्वितीय राजभाषा उद्धृत कौसी होगी ?		डॉ० थीनारायण चतुर्वेदी	२४
६— महाविद्यानन्द सत्स्वती और उनका पद्म-साहित्य		डॉ० कमल पु जाणी	३७
७— सिन्धु-सम्मुखियों के निर्माता		डॉ० विनोदचन्द्र सिन्हा	४१
८— वैदिक युग में प्रजातन्त्र		डॉ० जबरांति० सेनगर	४४
९— परिसर परिक्रमा			५१
(अ) सस्कृत-दिवस पर कुलपति बी का भाषण			
(आ) प्रौढ़ विद्या प्रशिक्षण जिविर का विवरण		डॉ० ब्रिसोक चन्द्र	५६
(इ) अनुदान आयोग की अध्यक्ष मुरुकुल मे		श्री भोयाल सिंह	६०
१०— पुस्तक-समीक्षा		समीक्षक	६१
(अ) बेदों के राजनीतिक सिद्धान्त		श्री बलभद्र कुमार हृजा	६३
(आ) सस्कृत काव्यशास्त्र पर भारतीय दर्शन		डॉ० मानसिंह	६५
का प्रभाव			
(इ) नागार्जुन		डॉ० विष्णुदत्त 'राकेश'	६७
(ई) हरियाणा का हिन्दी साहित्य .			
उद्धव और विकास		श्रीमती प्रतिमा शर्मा	६८
(उ) सस्कृत नाटकों का चीव-व्यवस्था		डॉ० भारतभूषण विद्यालंकार	७१
(ऊ) सत्यदेव परित्रानक व्यक्तित्व एव			
साहित्यिक कृतित्व		डॉ० राकेश शास्त्री	७३

संप्रहालय के प्रतीक से—

‘प्रह्लाद’ के मुख-पृष्ठ पर अंकित चित्र का विवरण

—मुखबीर सिंह (सहायक स्पूरेटर)

पत्रिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित चित्र, संप्रहालय में सुरक्षित उस पाषाण-फलक का है जो लदन में भारतोत्सव के अन्तर्गत प्रदर्शनी में रखा गया था। पुरातात्त्विक दृष्टि से इसका विवरण इस प्रकार है।

समुद्र-मन्थन का पाषाण-फलक

नं० ३१८०, समय ६-१०वीं अवधि, और भार लगभग १३० किलोग्राम है। इस फलक का आकार, आगे की ल० ६३ सेमी० धीरे की ल० ०६३ सेमी०, चौ० ३१ सेमी०, ऊँचाई—आगे २८ सेमी०, धीरे २० सेमी० है। पुरातत्त्व संप्रहालय को यह फलक श्राम शीघ्ररहेही (सहारनपुर) से प्राप्त हुआ। इस फलक में कन्दूप पर मन्दराचल पर्वत की मध्यानी है जिसमें शेषनाग रज्जु के स्थान पर लपेटा गया है। फलक में दायी ओर एक देवता और बाथी और आठ दैत्य लड़े हुए समुद्र का मन्थन कर रहे हैं। फलक में शेषनाग का मुह देवता की ओर तथा पूँछ दैत्यों की ओर स्पष्ट है।

कला की दृष्टि से यह फलक इतना महत्त्वपूर्ण नहीं है, परन्तु भाव-प्रदर्शन की दृष्टि से यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसमें देवताओं और दैत्यों द्वारा समुद्र-मन्थन के दृश्य का बहुत ही मनोहारी अकल किया गया है। संप्रहालय का यह समुद्र-मन्थन का पाषाण-फलक लन्दिन में हुये ‘भारत उत्सव’ वर्ष १९८१-८२ में प्रदर्शित किया गया। गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय के लिये यह बड़े गौरव की बात है।

समुद्र-मन्थन एक पौराणिक मिथ्या है। पूढ़ी के उत्सवन का थेव यदि पौराणिक मिथ्या में पृथु के शोदाहन के प्रतीक में सुरक्षित है, तो समुद्र-मन्थन द्वारा मानवोपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति का प्रयत्न इस घटना में सुरक्षित कहा जा सकता है। उत्सवन तथा मन्थन की पुरातात्त्विक धारणाओं का यह एक प्रार्थनिहासिक रूप है।

वैदिक वन्दना

ऊं येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्
परिगृहीतमभूतेन सर्वम् ।
येन यज्ञस्तायते सप्त होता
तन्मे मनः शिवं संकल्पमस्तु
(कस्मै देवाय हृविष्णा विष्वेम ॥)

यजु० ३४,४

'येन, अभूतेन इदं भूतं भुवन, भविष्यत् परिगृहीतम्' जिसके अभूत में
वर्तमान, भूत और भविष्यत्—सब कालों का क्रियाशील जगत् परिव्याप्त है,
'येन यज्ञस्तायते सप्त होता' जिस अभूत की आहुति से सप्तेन्द्रियों का यज्ञ चलता
है, उस सच्चिदानन्द को हम अपना जीवन अपित करते हैं।

जिसके अभूत धर में डूबे, भूत भविष्यत वर्तमान हैं ।
जिसकी यज्ञवेदि मे सारे भुवन अक्षिचन तृण समान हैं ।
जिसकी ज्वालाओं में तपकर, प्राणी जीवन पाते हैं ।
(उसी देवता के चरणों में हम सब हृविष चढ़ाते हैं ।)

(वैदिक वन्दना गीत पृष्ठ ८७)

पण्डित सत्यकाम विद्यालकार

सम्पादक की कलम से

५ अप्रैल १९६४ का दिन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। इस दिन भारत के अन्तरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर श्री राकेश शर्मा से हिन्दी में बातचीत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था— 'हमारे देश के लोगों की निगाहें, आपकी ओर लगी हैं और वे हमारी बातचीत भी मुन और देख रहे हैं। हमारे देशवासी, हमारी पालियामेंट और व्यक्तिगत रूप से मैं, आप और आपके सह-अंतरिक्ष यात्रियों कर्तन यूरी मार्टिंशब और श्री गेन्नादी स्ट्रेकालोव की सफलता और सुरक्षित वापसी को प्रार्थना करते हैं। आप सब को मेरी शुभकामनाएँ। जयहिन्द !' इस ऐतिहासिक बातचीत का समापन भी प्रधानमंत्री ने हिन्दी में ही किया। यह घटना एक शुभ लक्षण है और अंतरिक्ष यात्रियों के साथ हिन्दी—सवाद राष्ट्रीय अभियान को उजागर करने वाला है, कांग हिन्दी की यह दिग्नतव्यापी कीर्ति विश्व के जनमानस में कभी स्थान प्रदान कर सके। विदेशी भाषा के दीर्घकालोन प्रयोग से हम नितान्त आत्म हीन हुए हैं। जब तक समूचे समाज के परस्पर सामूहिक व्यवहार में विदेशी भाषा रहेगी तब तक हम समृद्ध राष्ट्र के उन्मुक्त बातावरण की कल्पना नहीं कर सकते। आज हिन्दी को महार्षि दयानन्द, महात्मा गांधी, महामना मालवीय, राजपि पुरुषोत्तम दास टडन तथा सेठ गोविन्द दास जैसे समर्पित मनीषी व्यक्तियों की आवश्यकता है जिन्होंने हिन्दी को राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन के साथ जोड़कर उत्तर-दक्षिण को संयुक्त राष्ट्रीय अभियान चलाने के लिए एक सज्जन बाणी दी। भारत के संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में जब हिन्दी को घोषित किया गया था, उस समय संविधान के निर्माताओं के सामने हिन्दी की व्यापक रूप-रेखा विद्यमान थी, किसी प्रान्त विशेष तक सीमित सकीर्ण रूप की कल्पना तो आज के राजनीतिज्ञ की उपज है। बगला, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलगू, कन्नड आदि ज्ञेयीय भाषा हैं तथापि प्रयोग बाहुल्य की दृष्टि से हिन्दी को समग्र भारत के जनमानस को प्रतिविम्बित करने में उपयुक्त और सक्षम मानकर सब की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। विदेशी भाषा के माध्यम से प्राप्ति का काम काज चलाना स्वदेशी भावना के सर्वथा विपरीत भी है और सास्कृतिक दृष्टि से अवाञ्छनीय भी। सम्पर्क सूत्र के रूप में हिन्दी का प्रयोग लम्बे समय से साधु सत भी करते रहे थे। अत सामान्य जन को एक समन्वित चेतना सूत्र में बौद्धने का काम हिन्दी ने किया था। हिन्दी राजभाषा और जनभाषा दोनों रही

है, इसलिए सद्भावना, सौहाँड़', समरसता और राष्ट्रीयता के प्रबल संकल्प के साथ भाषाओं के बैविद्य में भी सभी जनभानस को समेकित करने के लिए हिन्दी को राजभाषा के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए तथा उसके अधिकाधिक प्रयोग द्वारा उसके अखिल भारतीय रूप निष्पादन में सहयोग देना चाहिए। 'बन्देमातरम्' के रचयिता श्री बकिम चन्द ने कहा था—हिन्दी भाषा की सहायता से मारनवर्ध के विभिन्न प्रदेशों के बीच जो लोग एवं बन्धन स्थापित कर सकेंगे, वे ही सच्चे भारत बधु नाम से अधिहित किए जाने योग्य हैं। सभी चेष्टा करे, चाहे कितने ही दिन बाद क्यों न हो, मनोरथ पूर्ण होगा। हिन्दी भाषा में पुरहक और बन्धुता द्वारा भारत के अधिकाश स्थानों की मंगल साधना कीजिए।'

हिन्दी के राजभाषा विषयक स्वरूप को लेकर केन्द्र में हमेशा बहस छिड़ती रही है। १९४५ की संविधान सभा से लेकर आज तक हिन्दी की स्थिति को विवादास्पद बनाया जाता रहा है। सरदार पटेल की धारणा इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण है और उसी के परिप्रेक्ष्य में हमें आगे बढ़ना चाहिए। २८-११-१९४८ को उन्होंने मगन भाई देसाई के नाम लिखे एक पत्र में कहा था कि राष्ट्र भाषा राजभाषा का अन्तिम निर्णय तो संविधान सभा ने कर लिया है। इसलिए अब तो उस निर्णय पर अमल करना सबका कर्तव्य हो जाता है। राष्ट्रभाषा न तो किसी एक प्रान्त की है। वह तो सारे भारत की भाषा है और इसके लिए यह आवश्यक है कि सारे भारत के लोग उसे समझ सके और अपनाने का गैरिक हासिल कर सकें। उक्त परिप्रेक्ष्य में ही संविधान के ३५१ अनुच्छेद को लेना चाहिए।

राजभाषा विभाग भारत सरकार के समुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र ने सांविधानिक परिप्रेक्ष्य में राजभाषा की प्रगति का विवेचन देते हुए जो आंकडे प्रस्तुत किए हैं, उनमें उत्साह बढ़ता है। संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग, हिन्दी शिक्षण योजना, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, केन्द्रीय राजभाषा सेवा गठन तथा १९६३, १९६७ के संशोधित अधिनियमों के तहत भारत सरकार ने राजभाषा नीति के कायम्बन्ध में जो कार्य किया है, उसके लिए वह बधाई की पाव है। राजभाषा अधिनियम में हिन्दी के प्रयोग के बारे में ३ प्रमुख प्रावधान हैं।

(१) राजभाषा अधिनियम की धारा ३ (३) में उल्लिखित कागजात जैसे—
सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, सकल्प, प्रेस विज्ञप्तियों, संसद के समक्ष

प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात आदि द्विभाषी रूप से हिन्दी और अंग्रेजी में जारी किए जाएँ। ८२-८३ में ऐसे कागजातों की संख्या ८०, ७२० थी।

(२) हिन्दी भाषा राज्यों तथा उन राज्यों के साथ जिन्होंने केन्द्र सरकार के साथ हिन्दी में पत्राचार करना स्वीकार किया है, सभी मूल-पत्र हिन्दी में भेजे जाएँ। इन राज्यों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों के साथ पत्राचार में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। ८३-८४ में ३,८८,६८४ पत्र मूलरूप में हिन्दी में लिखे गए।

(३) हिन्दी में कहीं से भी प्राप्त पत्रादि के उत्तर हिन्दी में हो दिए जाएँ। ८३-८४ में ऐसे २,३२,५०१ पत्रों के जवाब हिन्दी में दिए गए।

इतना हीने पर भी राजनीतिक दबावों के कारण हिन्दी तथा नामरीलिपि के दैनन्दिन प्रयोग में बाधा ढालने का पठयन्त्र किया जा रहा है, हिन्दी के गढ़ उत्तर-प्रदेश में ही सरकार ने जिद पकड़ ली है कि वह उदूँ को द्वितीय राजभाषा बनाकर रहेगी। १८८० से लेकर १९८४ तक सरकार ने तीन-चार अध्यादेश जारी कर हिन्दी की संवैधानिक स्थिति की मजाक उड़ायी है। विधान सभा को साथे विश्वास में न लेकर राज्यपाल के विशेषाधिकार से उदूँ की प्रतिष्ठा का पठयन्त्र हिन्दी की पीठ में छुरा घोपने जैसा है। माननीय श्री वासुदेवसिंह जी गश्ती आवकारी-विभाग के विधान सभा में प्रत्यक्ष विरोध के बावजूद यह विधेयक विधान सभा की कार्यसूची में अब भी विद्यमान है। ६ अप्रैल को उच्च न्यायालय की छाप पीठ द्वारा द्वितीय राजभाषा संशोधन अध्यादेश को अवैध घोषित किए जाने के बाद भी सरकार उदूँ को द्वितीय राजभाषा बनाने के प्रति हृद स नल्प है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रधान मत्री भी प्रभात शास्त्री ने इम अवसर पर ठीक ही कहा है कि जिस अल्प सभ्यक को प्रसन्न करने के लिए सरकार उदूँ को राजभाषा बनाने के लिए हर जायज नाजायज काम करने पर उतार है, उसके घरों में भी हिन्दी पहुँच गई है। पिछले सेतीस वर्षों में हिन्दी में सभी लिख पढ़ रहे हैं क्योंकि यह अल्पसंखक भी मूलत भारतीय है। भारत की मिट्टी और गड़ में वह जिये हैं। वह इस बातावरण में ही रसते-बसते हैं। लगभग ३०० वर्षों से इन घरों में जमी उदूँ-फारसी का नाम ३७ वर्षों में गायब हो गया है। इसका कारण यह नहीं है कि किसी ने जोर जबरदस्ती की है। वास्तविकता यह है कि यह भाषा, इसके मुहावरे, प्रतीक, विश्व सब हिन्दू-मुसलमान दोनों को आनन्द देते हैं। बस्तुतः सरकार चाहे भी तो इस एक सत्य को काट नहीं सकती और फारसी-अरबी के प्रतीक विश्व कभी भी भारतीय आत्मा में घुल-मिल नहीं सकते। उदूँ के नाम पर अकादमियों और विद्यालयों में लूट मची है, उससे कुछ व्यक्तियों

को लाभ होता रहेगा। उद्दू' का हित नहीं होगा। बिहार और उत्तर-प्रदेश की सरकारों का कहना है कि जुनाव के समय कांग्रेस ने उद्दू' को दूसरी भाषा के रूप में स्थान देने का वायदा किया था। पहली बात तो यह है कि ऐसा वायदा क्यों किया गया था जो राष्ट्रीय एकता के हित में नहीं है जिससे तथे भूत खड़े होते हैं, जिससे देश प्रदेश में झगड़े पैदा हो सकते हैं, एक खतरनाक मिसाल खड़ी हो जाती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो देश के सविधान और उसके अनुसार बने विधि-विधानों के प्रतिकूल हैं।

राजर्षि टडन के अनन्य सहयोगी तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन के स्थापकों में से एक हिन्दी के वयोवृद्ध विद्वान् पद्मभूषण पण्डित श्री नारायण चतुर्वेदी जी ने सरकार से इस विघ्नकारी कार्य का जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि आज जो उद्दू' को दूसरी राजभाषा बनाने की माँग है वह न तो बहुसङ्ख्यक समाज और इस देश के मूल निवासी मुसलमानों की है और न उनके हित में है। मुस्लिम जनता के लिए यह कारसी बहुल उद्दू' उतनी ही जटिल और कठिन है जितनी उनके हिन्दू पड़ोसियों के लिए। यह माँग भारत में बसे उन मुट्ठी भर विदेशी मूल के उच्च वर्ग के मुसलमान आभिजात्य वर्ग की है जिनके बारे में ऊपर लिखा जा चुका है। वे सामान्यत नगरों में रहते हैं और उच्च यदों पर हैं। वे प्रभावशाली हैं। उन्हे अरबी, कारसी के विद्वान् उलमाओं का समर्थन प्राप्त है और उलमाओं का प्रभाव अजिक्षित मुसलमान जनता पर है किन्तु वास्तव में यह माँग केवल नगरों के उच्च वर्ग की है निनका अनुपात मुसलमानों में अधिक से अधिक दस प्रतिशत होगा। १९७५ की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की जनसंख्या का अनुपात १५ प्रतिशत था। १९८१ की जनगणना के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं किन्तु उनसे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता। अतएव उद्दू' को दूसरी राज भाषा बनाने की माँग राज्य के केवल डेढ़ प्रतिशत लोगों की माँग मानी जा सकती है।¹ आगे श्री चतुर्वेदी जी ने सुझाव दिया है कि यदि उद्दू' बाले कारसी शब्दों को लेना बन्द कर दे, देशी शब्दों का अधिक इस्तेमाल कर और उद्दू' को देवनागरी भाषा में भी लिखने लगें या कम से कम उसमें लिखने का विकल्प या आप्णन दे दे तो आज हिन्दी और उद्दू' में जो फक्त है वह धीरे-धीरे दूर हो जायेगा। हिन्दी पर उद्दू' का और उद्दू' पर हिन्दी का प्रभाव पड़ेगा और धीरे-धीरे एक ऐसी भाषा विकसित हो जायेगी जो वास्तव में मुश्तकी होगी और हमारे राज्य में हिन्दी-उद्दू' का संगड़ा इतिहास की एक कड़वी याद भर जायेगा।

उद्दू' का देशकाल

२६ दिसम्बर १९४७ को हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का ३५वाँ अधिवेशन बम्बई में हुआ था। उस अवसर पर हिन्दी साहित्य परिषद् के सम्माप्ति पद से

भाषण करते हुए श्री चन्द्रबली याण्डे ने कहा था—फारसी कविता में लैला मजबूत ही नहीं अयाज़्-महमद की भी जोड़ी है। उद्दूं को अपनी संस्कृति के कारण इसमें कोई दोष नहीं दिखाई देता, यहाँ तक कि उद्दूं के एक अल्लामा पठित उद्दूं को हिन्दू सिद्ध करने के लिए इसका एक अजीब उदाहरण धर देते हैं—

ख़त निकले प बोसये रखे पुरनूर का पाया,
ख़ेरत बरहमन को मिली चाँद गहन से ।

शेर शेख हातिम का है। आप उद्दूं की जबान के आदि उस्ताद और हिन्दी भाषा को त्यागने वाले प्रथम वीर हैं। आप किसी दाढ़ी निकालते हुए माशूक का तुम्बन क्या करते हैं, चन्द्रग्रहण में ब्राह्मण का दान पा जाते हैं। परन्तु ब्राह्मण की स्थिति यह है कि न तो उसका यार कोई ददियल अमरद होता है और न वह चन्द्रग्रहण का दान ही लेता है। उद्दूं के लोग इसे एकियाई शादूरी का गुण बताते हैं पर है यह वास्तव में फारसी और उद्दूं की भाती। रही उद्दूं की बात। सो उसकी दशा निराली है, मुँह से वह सबकी है पर दिल से इसलाम की और धधेरे में ईरान की। तभी तो उसके दूसरे उस्ताद 'सौदा' कहते हैं—

गर हो कशिशे शाहे सुरासान तो 'सौदा',
सिजदा न करु हिन्द की नापाक ज़मी पर ।

अर्थात्—यदि खुरासान का बादशाह चाहे तो मैं हिन्द की अपवित्र भूमि पर नमाज भी न पढ़ूँ। 'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ' लिखने वाले इकबाल नक कहते हैं—

है तक बतन सुनते महबूब इताही ।
दे तू भी नबूबत की सदाकृत प गवाही ॥
गुपतार सियासत में बतन और ही कुछ है ।
इरशादे नबूबत में बतन और ही कुछ है ॥

भाव यह कि हिन्दी का देश प्रेम इसलाम के लिए धातक है। अतएव प्रत्येक मुसलमान को उसका परित्याग कर देना चाहिए और नवी के सच्चे पार्थ पर आ जाना चाहिए। राजनीति में देश का अर्थ और होता है और नवी के प्यारों की बोली में और, किर दोनों को एक क्यों किया जाय?

तात्पर्य यह कि उद्दूं की मर्यादा और उसके संस्कार अभारतीय है। अलाउद्दीन जैसे कटुर मुस्लिम शासक के दरबारी कवि अमीर खुसरो ने तो यहाँ

तक कहूँ दिया था कि मैं हिन्दुस्तानी तुर्क हूँ हिन्दवी में बातचीत करूँगा । मिस्र की शक्कर का मुझे क्या पता कि अरबी जाऊँ—

तुर्क हिन्दोस्तानियम मन हिन्दुई गोयम जवाव,
शक्करे मिस्री न दारम कज़ अरब गोयम सखुन ।

काश, आज का भारतीय अल्प सल्ल्यक खुसरो को अपना आदर्श बनाकर चला होता ।

दयानन्द और हिन्दी

महर्षि दयानन्द ने हिन्दी को आर्यभाषा घोषित कर हिन्दी के लिए जहाँ नया वैचारिक ज्ञितिज तैयार किया, आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनाने को प्रेरणा दी वही व्याकरणानुसार भाषा के सुस्कार का कार्यकर पुरानी सञ्चुक्कड़ी हिन्दी को आधुनिक रूप दिया । उन्होने कहा था—‘भाई’ मेरी आँखि तो उस दिन को देखने के लिए तरस रही है जब कश्मीर से कल्यान-कुमारी तक सब भारतीय एक भाषा को समझने और बोलने लगेंगे । जिन्हे सचमुच मेरे भावों को जानने की इच्छा होगी वे इस आर्यभाष का सीखना अपना कर्तव्य समझेंगे । अनुवाद तो विदेशियों के लिए हुआ करते हैं ।’ हिन्दु पुनर्जागिरण काल में संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान् होते हुए भी उन्होने हिन्दी में लिखा तथा हिन्दी में व्याख्यान दिए । पजाव में स्वामी जी तथा पण्डित श्रद्धाराम कुलीरी के हिन्दी-प्रचार ने ऐतिहासिक कार्य किया । उदूँ के गढ़ में रेखा गया हिन्दी का विरवा आर्य समाज के प्रथलों से आज वट वृक्ष के रूप में लहरा रहा है । स्वामी श्रद्धानन्द जी ने हिन्दी-प्रचार के लिए एक ओर ‘सद्गमप्रचारक’ उदूँ से हटाकर हिन्दी में निकाला तो दूसरी ओर मुखुकुल कागड़ी की स्थापना कर भारतीय प्राच्य ज्ञान परम्परा तथा पाठ्यवात्य विज्ञान और मानविकी के विषयों के अध्ययन-अध्यापन के लिए हिन्दी को माध्यम बनाया । श्री गोवर्धन शास्त्री जैसे विद्वानों ने विज्ञान पर उस समय हिन्दी में ग्रन्थ उनकी ही प्रेरणा से लिखे थे । स्वामी जी के सरक्षण में इन्द्र जी ने विजया नामक हिन्दी दैनिक भी निकाला था । महर्षि दयानन्द के जीवनकाल में ही मेरठ से ‘आर्य-समाचार’ नामक पत्र निकलने लगा था । बाद में कहंखाबाद से ‘भारत सुदशा प्रवत्तंक’ तथा शाहजहांपुर से ‘आर्य दर्पण’ नामक पत्र भी स्वामी जी की प्रेरणा से निकले । श्री क्षेमचन्द्र जी सुमन ने बड़े विस्तार से पटना कवि सम्मेलन के अध्यक्ष पद से ४ नवम्बर १९६३ को दिए गए भाषण में इस सामग्री पर प्रकाश डाला था ।

महात्मा गांधी ने १९१८ में साहित्य सम्मेलन के इन्दौर अधिवेशन में दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार के लिए किए गए सकल्य को चरितार्थ करने के लिए देवदास गांधी को मद्रास भेजा। इस कार्य में इन्दौर नरेश और सर सेठ हुकमचन्द ने आधिक सहायता प्रदान की। महात्मा जी की प्रेरणा से आर्य संयासी सहदेव परिवारक मद्रास गवे तथा १९१८ के अगस्त में गोखले हाल मद्रास में हिन्दी कक्षाएँ प्रारम्भ की। हिन्दी न जानने वालों के लिए उन्होंने 'हिन्दी की पहली पुस्तक' नाम से एक पाठ्य पुस्तक भी तैयार की १९२१ में गुरुकुल विश्वविद्यालय के कुलपति तथा सम्प्रति परिदृष्टा डॉ० सत्यवरत सिद्धान्तालकार ने बगलौर जाकर हिन्दी की कक्षाएँ प्रारम्भ की। उन्हीं दिनों उन्होंने 'हाड टू लर्न हिन्दी' नामक पुस्तक भी लिखी थी। महाविद्यालय गुरुकुल के स्नातक के०एम० उन्निदामोदरन ने केरल में हिन्दी प्रचार का कार्य किया। उन्होंने रियासत के राजकुमारों को भी हिन्दी-संस्कृत पढाई। कागड़ी के स्नातक श्री केशव देव विद्यालकार ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की ओर से 'हिन्दी प्रचारक' का प्रकाशन भी कराया। दयानन्द उपदेशक विद्यालय लाहौर के विद्यार्थी डॉ० एन० चन्दकाल मुद्रियाँर ने हिन्दी के लिए बड़ा कार्य किया। कर्नाटक के श्री रामचन्द्र अध्ययन ने १९२६-२७ में स्वामी श्रद्धानन्द जी से प्रेरणा लेकर 'कैगेरी' में गुरुकुल की स्थापना की। आनंद के विश्वात साहित्यकार रमेश चौधरी आरियपूडि की प्रारम्भिक शिक्षा तो कागड़ी में ही हुई थी। हैदराबाद और पजाब के हिन्दी आनंदोलन में भी गुरुकुल ने हिस्सा लिया है।

तात्पर्य यह कि हिन्दी - प्रचार का अनवरत कार्य महर्षि दयानन्द के अनुशासीयों ने मिशनरी भाव से किया। आर्य समाज से शिक्षित, दीक्षित कार्यकर्ता आदि दक्षिण में जाकर हिन्दी-प्रचार न करते तो आज जो रूप दिखाई पड़ रहा है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

विदेशों में हिन्दी

आजादी के बाद भारतेतरदेशों में भी हिन्दी भाषा और साहित्य के प्रति अभिरुचि बड़ी है फिजी, मारिशस, मुयाना, सूरीनाम, ट्रिनीदाद, नेपाल, लका, थाईलैण्ड, केनिया, मलेशिया, युगान्डा, तंजानिया, बंगला देश, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, इंग्लैण्ड, सोवियतसंघ, पश्चिमी जर्मनी, नीदरलैण्ड, चीन, पोलैण्ड, इटली तथा अफगानिस्तान में हिन्दी का प्रबोश पाया जाता है। इनमें से कुछ देशों में हिन्दी का उच्चतर अध्ययन तथा शोध-कार्य भी सम्पन्न हो रहा है। जब हिन्दी का जो विश्वजनीन रूप निर्मित हो रहा है, उसे ध्यान में रख-कर ही हमें अपना मार्गप्रशस्त करना है।

राष्ट्रपति जी को बधाई !

महामहिम राष्ट्रपति श्री जैलसिंह जी ने मैन्सिकों तथा अजेंटीना की महत्वपूर्ण विदेश यात्रा के दौरान अपने सभी भाषण भारत की राजभाषा हिन्दी में दिए। इससे पहली बार हिन्दी को राजकीय दृष्टि से गौरव ने मिला। महामहिम राष्ट्रपति जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

प्रह्लाद का यह अंक

गुरुकुल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री बीरेन्द्र तथा कुलपति श्री दलभद्र कुमार हूजा ने अधक परिश्रम कर विश्वविद्यालय को आधिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के बाद इसके शैक्षिक परिवेश को भव्य तथा स्तरीय रूप देने का अधियान चलाया। इसके प्रतिष्ठापक के मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तथा इसकी निजता की रक्षा करते हुए योग केन्द्र, प्रोफेशिका, सेवा प्राप्ति योजना आदर्श प्राम निर्माण योजना तथा आर्थ स्वाध्याय केन्द्र की स्थापना के साथ शिक्षा-विभागों में आचार्य तथा प्रवाचकों के नये पदों को सरकारी स्वीकृति प्रदान कराने में भी श्री हूजा के योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता। उन्हीं की प्रेरणा से वैदिक-पथ का अप्रेजी, गुरुकुल-पत्रिका (संस्कृत) तथा प्रह्लाद का हिन्दी में प्रकाशन हो रहा है।

प्रह्लाद विश्वविद्यालय के प्राच्यविद्या-विषयों का प्रमुख त्रैमासिक शोधपत्र है। विभिन्न क्षेत्रों के समकालीन साहित्य तथा मानविकी के विषयों के अध्ययन तथा शोधकार्य का आकलन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आजाहै, इस कार्य में हमें विद्वानों का भरपूर सहयोग मिलेगा।

यह अक हिन्दी दिवस पर विशेष रूप से प्रकाशित हो रहा है। इस अवसर पर अधिक से अधिक हिन्दी में काम काज करने की शक्ति लेकर यदि हम हिन्दी की सर्वदैशिकता स्थापित तथा व्यावहारिक स्तर पर प्रमाणित कर सके तो निश्चय ही भाषिक समस्या का अंतिम निदान ढूँढ सकते हैं। हिन्दी मात्र भाषा नहीं, राष्ट्र की सामाजिक चेतना भी है।

देश की एकता की कड़ी—हिन्दी

पश्चिमी क्षेत्रवन्द्र 'सुमन'

भारत मूलत सास्कृति प्रधान देश है। इस देश में अनेक धर्म और भाषाएँ होते हुए भी सास्कृति का ऐसा सूत्र है जो उसे एकता के सूत्र में पिरोए हुए है। इस एकता के सूत्र की परिपुष्टि करने की इटिंग से हमारे सतों और सुधारकों ने अपने विचारों के प्रचार के लिए जिस भाषा को अपनाया वह काश्मीर से कन्या-कुमारी तक और राजस्थान से सुदूर पूर्वी अचल तक के भूभाग में समान रूप से बोली और समझी जाने वाली भाषा थी। इस भाषा को हम हिन्दी के नाम से जानते और समझते हैं। यदि ऐसा न होता तो अतीत काल में जहा कबीर, गुरुनानक आदि अनेकों सतों और सुधारकों ने इसे अपने विचारों के प्रचार का साधन बनाया वहां आधुनिक भारत के अनेक सुधारकों ने भी इसे पूर्णत अपनाया। ऐसे सुधारकों में राजा रामसेहन राय, केशवचन्द्र सेन, जस्टिस शारदाचरण मिश्र, स्वामी दयानन्द सरस्वती, बाल गगाधर तिलक और महात्मा गांधी प्रथमित महानुभावों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

हिन्दी एकमात्र ऐसी भाषा है जो समस्त भारतीय जनता को एकता के सूत्र में जोड़ने वाली कड़ी का कार्य करती है। चाहे किसी भी प्रदेश का कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी भूभाग में चला जाये तो वह दूटी-फूटी हिन्दी के माध्यम से अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल हो सकता है। दूर क्यों जायें, हम महाराष्ट्र को ही बात आपके सामने रखना चाहते हैं। छब्बपति शिवाजी की मातृभाषा मराठी थी। उनके सभी दरबारी महाराष्ट्र के थे और प्रजा भी मराठी बोलने वाली ही थी, किन्तु उन्होंने हिन्दी के समर्थ कवि भूषण को अपने दरबार में अत्यन्त सम्मान का स्थान दिया। यदि उनके दरबार में हिन्दी को समझने और उससे प्रेरणा लेने वाले न होते तो वे ऐसा कदापि न करते। जब वे वेष बदलकर शम्भाजी के साथ दिल्ली से दक्षिण लौटे तब उनके विचारों के प्रचार और प्रसार का माध्यम हिन्दी ही थी।

किसी भी भाषा का अधिकाधिक प्रचार तभी हो सकता है जबकि उसके अधिकांश जनसमुदाय की सास्कृतिक गरिमा को उनकी अपनी भाषा में प्रस्तुत

किया जाये। इसी बात को दृष्टि में रखकर अंग्रेजों ने हिन्दी को ही अपनाया और ईसाई मिशनरियों ने कलकत्ता के पास सीरामपुर नामक स्थान में एक हिन्दी प्रेस की स्थापना करके उसके द्वारा प्रत्युत परिमाण में साहित्य प्रकाशित किया। इधर ईसाई मिशनरी जब अपने विचारों का प्रचार हिन्दी में कर रहे थे तब केशवचन्द्र सैन, स्वामी दयानन्द और नवीनचन्द्र राय जैसे मुद्धारकों ने भी अपने विचारों के प्रचार के लिए हिन्दी को ही अपनाया। यहां यह भी स्मरणीय है कि उक्त तीनों महानुभावों में से पहले दो बगाली और तीसरे गुजराती थे।

महात्मा गांधी के देश के राष्ट्रीय जागरण में योगदान देने के साथ-साथ सास्कृतिक एकता की कड़ी के रूप में हिन्दी का जो महत्व स्थापित हुआ वह भी करन उल्लेखनीय नहीं। गांधीजी ने अपने विचारों के प्रचार के लिये न केवल हिन्दी को अपनाया बल्कि वे दो बार अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशनों के अध्यक्ष भी रहे। यहाँ तक कि उन्होंने राष्ट्रीय जागरण के साथ-साथ देश की एकता के लिए हिन्दी के महत्व को इस सीमा तक अनुभव किया कि उन्होंने मुद्रूर दक्षिण में मद्रास में ‘दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा’ की स्थापना भी की। इस सभा के माध्यम से दक्षिण में जहाँ स्वाधीनता आन्दोलन के लिए अनेक कार्यकर्ता उन्हें मिले वहाँ हिन्दी के प्रचार को भी उन्होंने ‘राष्ट्रीय एकता’ का मूल प्रश्न माना। यही नहीं उन्होंने अपने सुपुत्र श्री देवदास गांधी को भी सर्वप्रथम वहाँ हिन्दी-प्रचारक के रूप में भेजा।

यह वह समय था जबकि ‘हिन्दी’ और ‘राष्ट्रीय एकता’ दोनों शब्द पर्यायवाची से हो गये थे। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता था। हिन्दी को यह परम्परा रही है कि जहाँ उसके अनेक लेखकों, कवियों और पत्रकारों ने देश की स्वतन्त्रता और उसके नव-जागरण में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया वहाँ उनके सामने देश की सास्कृतिक एकता का लक्ष्य भी प्रमुख रहा। यह वह समय था जबकि सास्कृतिक और राजनीतिक एकता के इस यश में जहाँ हिन्दी-भाषी प्रदेशों के अनेक कवि और साहित्यकार अपना सहयोग दे रहे थे वहाँ दूसरे प्रदेशों में भी हिन्दी के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण का उद्घोष हो रहा था। इसके साक्षय के रूप में हम हिन्दी के पुराने पत्रकार अमृतलाल चक्रवर्ती और विष्णु सच्चाराम देउसकर के नाम प्रस्तुत कर सकते हैं। अमृतलाल चक्रवर्ती व व भाषी होते हुए भी हिन्दी के ‘भारत मित्र’ का सम्पादन करते थे और श्री देउसकर ने मराठी होते हुए भी हिन्दी पत्रकारिता को अपने विचारों के प्रचार का साधन बनाया था। बाद में तो यह परम्परा और भी तत्परता से आगे बढ़ी और सर्वांगी माध्यवराब सप्त्रे, सिद्धनाथ माधव आगरकर, लक्ष्मणनारायण गदे, बाबूराम विष्णु पराङ्कर तथा रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर जैसे अनेक

महानुभाव मराठीभाषी होते हुए भी हिन्दी-प्रबकारिता के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय स्थान बना गये।

कुछ लोग बंगभाषियों को हिन्दी का विरोधी मानते हैं, लेकिन मेरी ऐसी धारणा नहीं है। हिन्दी के उन्नयन तथा विकास में बंगभाषियों ने जो भूमिका निवाही उसका हिन्दी साहित्य के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ यह स्मरणीय है कि सर्वप्रथम हिन्दी पत्रों का प्रकाशन कलकत्ता से ही हुआ और उन पत्रों के सचालक बंगभाषी ही थे। 'भारत मिड' और 'हिन्दी बगवासी' अपने समय में ऐसे पत्र थे जिनका अवदान राष्ट्रीय जागरण में बहुत महत्व रखता है। यहीं नहीं, जस्टिस शारदाचरण भित्र ने तो 'एक लिपि विस्तार परिषद्' के द्वारा 'देवनागर' नामक एक ऐसा पत्र प्रकाशित करके देश की सास्कृतिक एकता में उल्लेखनीय योगदान दिया जो देवनागरी लिपि में सभी भाषाओं की रचनाओं को प्रकाशित करता था।

श्री भित्र ने जहाँ 'एक लिपि विस्तार परिषद्' के माध्यम से देवनागरी का प्रचार करने में एक अप्रणीत कार्य किया वहा कालान्तर में अनेक बंगभाषी विद्वानों ने हिन्दी के ऐसे पत्र प्रकाशित किए जिन्होंने राष्ट्रभाषा हिन्दी के उन्नयन तथा विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ऐसे पत्रों में बंगला 'प्रबासी' के सम्पादक रामानन्द चट्टोपाध्याय द्वारा सचालित 'विशाल भारत' और इण्डियन प्रेस, प्रयाग के सचालक श्री चितामण धोष द्वारा सचालित 'सरस्वती' के नाम प्रमुख है। 'सरस्वती' ने जहाँ राष्ट्रभाषा हिन्दी के स्वरूप का निर्माण किया वहाँ 'विशाल भारत' के माध्यम से हिन्दी को अनेक लेखक मिले। हिन्दी के महत्व का इससे भी सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से सचालित उसकी सर्वोच्च परीक्षा 'साहित्य रत्न' जब प्रबलित हुई तब उसके प्रथम वर्ष के परीक्षायियों में श्री नविनीमोहन सान्ध्याल थे। श्री सान्ध्याल ऐसे बंगभाषी सञ्जन हैं जिन्होंने न केवल यह परीक्षा ही उत्तीर्ण की बल्कि अपने हिन्दी ज्ञान के अवदान के रूप में महाकवि सूरदास पर एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ भी लिखा।

यदि ढड़े दिल से विचार किया जाये तो हमें यह मानने में कदापि कोई आपत्ति नहीं होती। काहिए कि हिन्दी ने जहाँ देश की सास्कृतिक एकता की समृद्धि में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया वहाँ वह राष्ट्रीय जागरण की भी सबाहिका रही है। यदि ऐसा न होता तो हमारे अनेक राष्ट्रीय नेता एक स्वर से उसके महत्व को क्यों स्वीकार करते। स्व० बालगंगाधर तिलक जहाँ हमारी सांस्कृतिक एकता के संवाहक थे वहाँ उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भी बढ़-चढ़ कर आम लिया। उनकी कहाँ बास्तवा थी कि केवल हिन्दी के माध्यम से ही हम

राष्ट्रीयता का मन्त्र देश के कोने-कोने तक पहुंचा सकते हैं। वही क्यों उड़ीसा के 'गोपबन्धु दास, तमिलनाडु के चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, आध के टी० प्रकाशम और असम के थी गोपीनाथ बरदोलोई भी उन्हीं व्यक्तियों में थे जो हिन्दी के माध्यम से भारतीय एकता को महत्व देते थे और उनकी दृष्टि में हिन्दी का प्रचार देश की भावात्मक एकता का एक अंग था।

इस परिप्रेक्ष्य में यदि उद्दूँ के हिमायतियों के उन तर्कों को ध्यान से देखें जो आज उद्दूँ को एक स्वतन्त्र भाषा का दर्जा देने के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि उद्दूँ कोई स्वतन्त्र भाषा नहीं, बल्कि वह तो हिन्दी की ही शैली-भाषा है। यदि उद्दूँ के लिये देवनागरी लिपि का आश्रय ले लिया जाय तो उसका शैलीगत रूप ज्यों का त्यों बना रह सकेगा। उद्दूँ के हिमायती यह कैसे भूल जाते हैं कि जिस हिन्दी को जायसी, रहीम, रसखान, आलम, शेख और उसमान जैसे कवियों ने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया वह क्या केवल हिन्दुओं की भाषा कही जा सकती है? खड़ी बोली हिन्दी के आदिकवि के रूप में जहाँ असीर खुमरो ने हिन्दी कविता को नये मुहावरे दिये वहाँ संवद इन्द्रावल्ला खा की 'रानी केतकी की कहानी' नामक रचना से हिन्दी कहानी की विधा में एक अभूतपूर्व निखार आया। हिन्दी साहित्य में जहाँ उक्त विभूतियों का विशिष्ट स्थान है वहाँ आधुनिक काल में भी ऐसे अनेक नाम हमारे समक्ष उभर कर आते हैं जिन्होंने जाति और धर्म की दोवार को लांघकर साहित्य-निर्माण के खेत्र में अनेक उत्तेजनीय कार्य किये थे। ऐसे महानुभावों में संवद असीर अली भीर, कासिम अली साहित्यालकार, जहूरबवश हिन्दी कोविद, बन्दे अली फातमी, मुन्शी अजमेरी और नबीबवश फलक आदि के नाम गौरव के साथ स्मरण किये जा सकते हैं। पिछले तीन दशक में तो हिन्दी के लेखन में अनेक ऐसे मुसलमानों का स्मरणीय योगदान रहा है जिनकी रचना साहित्य का शुगार कही जा सकती है।

भारत एक बहुभाषी देश है। इस देश की सभी भाषाओं और लिपियों को अपने-अपने प्रदेशों में अवश्य बढ़ावा मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक देश की समग्र एकता का सम्बन्ध है उसके लिए हिन्दी ही एक ऐसा माध्यम हो सकती है जिसके द्वारा हम देश की अखण्डता की रक्षा कर सकते हैं। स्वतन्त्रता के लगभग ३७ वर्ष बाद आज तो ऐसी स्थिति आ गई है कि हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि हिन्दी वस्तुत सारे देश की ही भाषा है। आज हिन्दी में जो लेखन हो रहा है उसमें सभी भाषाओं के लेखकों का योगदान है। इसमें जहाँ अनेक तमिल-भाषी महानुभाव अपना योगदान दे रहे हैं वहाँ केरल, कर्नाटक और आध के लेखकों की संख्या भी कम नहीं है। यहाँ तक कि बगाल और असम में भी लेखकों की ऐसी पीढ़ी तैयार हो गई है जो हिन्दी-भाषी खेत्र के लेखकों की भाँति ही

सहज और सरल हिन्दी लिखने लगी है। गुजरात और महाराष्ट्र इसके अपवाद कहे जा सकते हैं। यहाँ के लेखकों ने तो अनेक दफ्तरों से हिन्दी लेखन को अपना सास्कृतिक धर्म ही समझ लिया था। आज ऐसे अनेक लेखक हिन्दी में ही जिनकी मातृभाषा मराठी और गुजराती है लेकिन उन्हें हम अहिन्दीभाषी हिन्दी लेखक नहीं कहें। सिन्धीभाषी जनता की बात दूसरी है। इनका अपना कोई प्रदेश नहीं है, देश के प्रत्येक भाग में यह देखे जा सकते हैं। लेकिन इतना सब होने हुए भी उनमें भी ऐसे अनेक लेखक हैं जो मूलत अब हिन्दी में भी लिखने लगे हैं। पजाव ने तो हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज हिन्दी के ऐसे अनेक लेखक पंजाबीभाषी हैं जिनकी रचनाएँ हिन्दी साहित्य का शृंगार है। भारत-विभाजन के बाद तो स्थिति यहाँ तक बदल गई कि उदूँ के ऐसे अनेक लेखक हिन्दी में खुले रूप से छपने लगे जिन्हे हिन्दी भी नहीं आती। यह भी हिन्दी को लोकप्रियता का स्पष्ट प्रमाण है। वैसे पजाव में आर्वासमाज का प्रचार होने के कारण हिन्दी का प्रचलन पहले से ही था और यही कारण है कि आज हिन्दी के जिन्हें शीर्षस्थ लेखक हैं उनमें पजाव का योगदान कम नहीं कहा जा सकता। सर्वथी सत्यदेव परिवाजक, सन्तराम बी०ए०, सुदर्शन, यशपाल अश्क, अजय और मोहन राकेश पजाव की ही देन हैं।

सास्कृतिक एकता की कड़ी के रूप में हिन्दी की प्रतिष्ठा का इससे अधिक जबलन्त प्रमाण क्या हो सकता है कि प्रेमचन्द जैसे लेखक को उदूँ में लिखना छोड़कर हिन्दी को अपनाना पड़ा। सुदर्शन जैसे हिन्दी कहनीकार भी पहले उदूँ में ही लिखते थे। बंगभाषी हेमन्तकुमारी चौधुरानी ने भी अपनी भाषा को छोड़कर हिन्दी में ही लेखन प्रारम्भ किया था और आज नो यह स्थिति है कि सभी भाषाओं के बोलने वाले हिन्दी को उन्मुक्त मन से अपना रहे हैं। दूर बयो जाये, हिन्दी के विरोधी की आवाज जहाँ से बराबर उठती रही है उसी नगर मद्रास में 'चन्दामामा' जैसी पवित्र प्रकाशित हो रही है, जिसके द्वारा देश के हर कोने के बालक लाभान्वित होते हैं। हिन्दी को किसी विशेष प्रदेश या अचल की सीमा में नहीं बोला जा सकता, वह तो हमारी भावात्मक एकता का एक ऐसा सूत्र है जिसको हम अखिल भारतीय प्रतिष्ठा देहर ही सुदूर बना सकते हैं।

अजय निवास, दिलशाद कॉलोनी
शाहदरा, दिल्ली ११००३२

हिन्दी-अभियान की रचनात्मक दिशाएँ

डा० हरवंशलाल शर्मा
कुलपति, बुद्धेलखण्ड विश्वविद्यालय

जहाँ तक हिन्दी के विकास और प्रगति का प्रश्न है, वह निश्चय ही शोचनीय है। क्योंकि अब व्यवस्था ने अप्रेंजी लादने की प्रक्रिया उलट दी है। अभी तक हम प्रशासन से अपेक्षा करते थे कि वह जगह-जगह अपने प्रशासनिक सूत्र से हिन्दी को प्रतिष्ठित करने का कार्य करेगा लेकिन वर्तमान सरकारी नीति से यह सम्भव प्रतीत नहीं होता। सविधान के प्रावधानों का भी सही-सही पालन नहीं हो रहा है। सरकार ने जगह-जगह कार्यालयों और सावंजनिक क्षेत्रों में हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति और हिन्दी इकाईयों का सुगठन तो किया है, किन्तु ये सारी व्यवस्थाएँ निरतेज और निष्क्रिय हो जाती हैं, क्योंकि इन अधिकारियों की आवाज में कोई बल नहीं है, तथा जिस नीकरणाही के मातहत उन्हें काम करना पड़ता है वह अप्रेंजीपरस्त है और हिन्दी की प्रतिष्ठा करना ही नहीं चाहती। यदि आज यह पूछा जाय कि हिन्दी के विकास की दिशा में कितनी प्रगति हुई है तो प्रशासन इतने कार्य और आँकड़े हमारे सामने प्रस्तुत कर देगा कि देखने में लगेगा कि वास्तव में हिन्दी की प्रगति तेज हो रही है जबकि वस्तुस्थिति यह है कि आज से १५ वर्ष पहले हिन्दी जिस तेज गति के साथ बढ़ रही थी, आज उतनी ही तेज गति के साथ पीछे खिसक रही है।

हिन्दी के आधुनिकीकरण के नाम पर भी अप्रेंजी को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। कम्प्यूटर सिस्टम के माध्यम से आज जितने काम हो रहे हैं वे सब अप्रेंजी को ही प्रतिष्ठित कर रहे हैं। मशीनीकरण की इस चकाचौध वाली स्थिति से निपटने के लिए हमको कुछ नये मार्ग निकालने होंगे। आज जिस एक-रूपता और एकीकरण तथा आजुलेख और इकण को बहाना बनाकर अप्रेंजी को आगे बढ़ाया जा रहा है वह भयानक है और यदि यह प्रक्रिया तेजी से बढ़ायी गयी तो सरकारी और प्रशासनिक स्तर पर हिन्दी अपने आप हो पीछे खिसक जायेगी और उसका विकास ठप पड़ जायेगा। यदि वर्तमान प्रशासन ने राजपिटड़न वी सलाह मानकर हिन्दी अको को मान्यता दे दी होती तो आज कम्प्यूटर और मशीनीकरण के माध्यम से जो अप्रेंजी अको का ब्राह्मण बढ़ रहा है वह रुक जाता। राजपिटड़न दूरदर्शी ये इसलिए उन्होंने इस आने वाले सकट को देख

लिया था। यदि हम उस समय जागते रहते और अप्रेजी अको के माध्यम से अप्रेजी का प्रचार-प्रसार इतनी तीव्रता के साथ न बढ़ पाता। हमें अब इन परिस्थितियों से हिन्दी अको के लिए भी तीव्र संघर्ष करना चाहिए ताकि प्रकारान्तर से अप्रेजी का आरोपण रोका जा सके।

अनुवाद के क्षेत्र में भी हिन्दी की स्थिति चिन्मताजनक है क्योंकि साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट, एन०सी०ई० आर०टी० तथा केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय एवं केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आदि जैसी संस्थाएँ केवल निर्धारित (रुटीन) काम ही करती हैं। उनके सयोजन-नियोजन में न तो राष्ट्रीय दृष्टि दिखलाई पड़ती है और न वह दूरदर्जिता जिसके माध्यम से भारत की समस्त भाषाओं में पारस्परिक आदान-प्रदान बढ़ता और हिन्दी को पूर्णरूपेण विकास करने का अवसर मिलता। पिछले बीस वर्षों में हिन्दी का काम केवल औपचारिकता के स्तर तक ही सीमित रहा है और उसका क्रातिकारी चरित्र दबता जा रहा है। यद्यपि सरकार की यह घोषित नीति है कि कार्यालयों में जहाँ अप्रेजी में लिखना आवश्यक होगा वहाँ अप्रेजी मसौदे के साथ हिन्दी का अनुवाद भी लगाया जायेगा किन्तु इस औपचारिकता को भी निभाना कठिन हो गया है। आज तो स्थिति यह है कि हिन्दी में लिखे गये पत्रों के उत्तर भी हमें अप्रेजी में ही प्राप्त होते हैं।

तकनीकी तथा प्रायोगिक विज्ञान, मेडिसिन, वाणिज्य, कृषि तथा इन्जी-नियारिंग आदि विषयों में अभी भी प्रमाणिक ग्रन्थ तैयार नहीं हो पाये हैं जिसका परिणाम यह है कि इन क्षेत्रों में हिन्दी की पहुँच ही नहीं हो पायी है। इसमें भी सरकार ने यदि दूरदृष्टि से काम लिया होता और हिन्दी की प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा इस कार्य को कराया होता तो आज इतनी पाठ्य-नुस्तके तैयार हो जाती और प्राविधिक शिक्षण में काफी प्रगति हो गयी होती। विधि के क्षेत्र में भी यही विसर्गति काम कर रही है। पिछले बर्ष हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग और प्रचलन को लेकर एक बृहद् गोष्ठी का द्विदिवसीय आयोजन किया था जिसमें ८, ९० उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, विधि विषेषज्ञों और प्रमुख अधिवक्ताओं ने भाग लिया था। वहाँ भी समस्या यह नहीं थी कि हिन्दी में विधि शब्दावली और संवेधानिक मुहावरे नहीं हैं, वहाँ प्राय सभी का मत था कि मुकदमों के फैसले और बहस हिन्दी में इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि प्रशासन और न्यायालयों की ओर से हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। यदि संवैधानिक स्तर पर प्रशासन द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया होता तो निश्चय ही आज विधि-क्षेत्र में भी काम काफी आगे बढ़ा होता।

उपर्युक्त बातों की ओर से उनके अधिकार किया है किन्तु हिन्दी के समर्थन का मुख्योद्योग लगाकर हिन्दी की गति को अवशुद्ध करने की कुचेट्टाएँ अबाधिनीय हैं। पिछले कई वर्षों से साहित्य अकादमी जैसी संस्थाओं द्वारा बोलियों को भाषा का स्थान देकर एक विज्ञित्र प्रकार की संकलन की स्थिति पैदा की गयी। डोगरी बोली को साहित्य अकादमी द्वारा स्वतंत्र स्थान देने से भारत और विज्ञेयकर हिन्दी-भेद की बोलियों को गलत प्रोत्साहन मिला। मैथिल बोली को भाषा का स्तर देकर साहित्य अकादमी ने कई क्षेत्रीय बोलियों को उकसाया है। विहार में भोजपुरी अकादमी का संगठन यद्यपि एक मुख्य बस्तु है किन्तु भोजपुरी, अज, राजस्थानी आदि को भाषा का स्थान देना अवर्जनात्मक है क्योंकि भाषा मूल रूप से धर्म, पुराण, संस्कृत और मिथ्यकों की सून्नतात्मक अभिव्यक्ति से बनती है और सकी विश्वजनीन चेतना होती है। बोलियाँ एक समृद्ध भाषा की अनेक इकाइयों के रूप में कार्य करती हैं और उसके सम्पूर्ण स्वरूप को बनाने-सवारने और समृद्ध करने में योग देती है। हिन्दी जगत् की भावुकता के आधार पर बोलियों को भाषा का रूप नहीं देना चाहिए किन्तु उन बोलियों के विकास को अवशुद्ध भी नहीं करना चाहिए क्योंकि जितनी समृद्ध बोलियाँ होगी उतनी ही सज्जनत भाषा भी होगी। स्वयं बोलियों के विकास के लिए आवश्यक है कि भाषा की समृद्धता बनी रहे। हमें आशा है कि भाषा के इस जटिल पक्ष पर पुन विचार होगा। साहित्य अकादमी जैसी अनेक संस्थाएँ हैं जो सरकारी और अद्वंसरकारी स्तर पर इस प्रकार का विषय बो रही है। इस प्रवृत्ति को समूल नष्ट करने के लिए हमें एक कदम उठाना चाहिए।

अभी मैंने नागरी अको के विषय में कहा। आज नागरी लिपि के महत्व और उसकी उपर्योगिता को नकारने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। बस्तुस्थिति यह है कि सार्वजनिक और प्रशासनिक स्तर पर भारत की विभिन्न भाषाओं के आदान-प्रदान के लिए हमें विज्ञेय प्रयास करना चाहिए। बस्तुतः आज भारत की समस्त भाषाओं में लिपि-भेद होने के कारण ही भाषा-भेद की विषमता बढ़ी है। यदि स्वर्गीय गाढ़ी और श्रद्धेय टण्डन जी की बात मानकर देख में प्रशासनिक और सार्वजनिक स्तर पर विभिन्न भाषाओं के साहित्य को मात्र नागरीलिपि में लिपिबद्ध कर दिया जाता तो भाषा की दूरी और पारस्परिक अजनबीपन समाप्त हो जाता। बस्तुतः भारत की समस्त भाषाओं की जड़े संस्कृत भाषा में है, उनकी समस्त संस्कारिता भी एक ही धर्म, पुराण, मिथ्यक और लोकतत्वों पर आधारित है। राम, कृष्ण, शिव, गणा, यमुना, कृष्णा, कावेरी—इन सबका उल्लेख समान रूप से मिलता है। महत्वपूर्ण पुस्तकों के अनुवाद और उनके नागरीलिपि में प्रकाशन से ये दूरियाँ समाप्त हो सकती थीं। खेद है कि समय रहते हृपने इसको कार्यान्वित नहीं किया। यद्यपि हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने नागरीलिपि में ही

तेलगु, कन्नड़ और तमिल आदि कई भाषाओं के कोश संकलित कराये हैं फिर भी मात्र इतना ही पर्याप्त नहीं है। सरकार को चाहिए कि विशेष अनुदान देकर इस दिशा में योजनाबद्ध रूप में लम्बी स्कीम बनाये और केवल कोश ही नहीं, इन भाषाओं के साहित्य को भी अनुदित, रुचान्तरित और नागरीलिपि में मुद्रित कराये और देश के समस्त पुस्तकालयों में विशेष कक्ष स्थापित करके सम्पूर्ण भारतीय वाड़्यम को सुलभ कराने की जेष्टा करे, क्योंकि जब भारतीय भाषाओं का नैकट्य स्थापित होगा तब वह साहित्य और सांस्कृतिक वातावरण पैदा होगा जो अपनी देशीय अस्मिता के लिए आतुर होगा और यह आतुरता ही अंग्रेजी को समाप्त करके हिन्दी को प्रतिष्ठित करने में सहायक होगी।

इसी सन्दर्भ में उद्दूँ के विषय में भी चर्चा कर देना अप्रासारिक न होगा। यह बड़े दुख का विषय है कि उद्दूँ को देश के राजनीतिक दल केवल अपने निहित स्वार्थ के लिए समय-समय पर इस्तेमाल करते रहे हैं। मैं स्वयं उद्दूँ का प्रबल समर्थक हूँ क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि उद्दूँ हिन्दी की एक शैली है और वह उसी शैली से पैदा हुई है जिससे सूरदास, तुलसीदास, अष्टछाप के कवि, बिहारी, और पद्माकर ने जन्म लिया। यदि हमारी सांस्कृतिक दृष्टि सही होती और भारतीय अल्पसंख्यकों को अपने जो और निहित स्वार्थ वालों ने गुमराह न किया होता, तो उद्दूँ को लेकर यह विषमता पैदा न हुई होती। मीर तकी 'मीर' की भाषा को हिन्दी के सिवाय और कुछ कहा नहीं जा सकता। गालिब का पूरा दीवान हिन्दी भाषा और मुहावरों से भरा हुआ है। अनीस के मसिये नितान्त भारतीय वातावरण को चित्रित करते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे हसन-हुसेन, जैनब और हजरत अली इस देश के नहीं, विदेश के हैं। नवीर अकबरावादी के नज़मों में हिन्दू-प्रतीकों, त्याहारों, समारोहों और धार्मिक चरित्रों का जो चित्रण प्रस्तुत किया गया है उस पर हमे गर्व है। हमे इस पूरे साहित्य को नागरीलिपि में प्रकाशित करके उपलब्ध कराना चाहिए और इस बात का आनंदोलन करना चाहिए कि मात्र फारसी लिपि में लिखे जाने से उद्दूँ हिन्दी से अलग नहीं की जानी चाहिए। साथ ही यह कि उद्दूँ को नागरी लिपि में लिखने और प्रकाशित करने का आनंदोलन तीव्र करना चाहिए। उद्दूँ हिन्दी को समृद्ध करने वाली है।

जिस प्रकार उद्दूँ को राजनीतिक समस्या बनाकर देश के जन-मानस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी सामाज्य के प्रतीक-स्वरूप अंग्रेजी स्कूलों और कॉन्वेण्ट स्कूलों द्वारा भी हमारे देश के शिशुओं को अपने ही देश में अजनबी बनाने का वड्ड्यन्त्र चल रहा है। आजादी के पहले अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीति के अन्तर्गत जो विष बोया गया था वह आज स्वतन्त्रता के दृढ़ वर्ष बाद अपने विषाक्त रूप में पनप रहा है। इन कॉन्वेण्ट

स्कूलों में देश की सामाजिक, सास्कृतिक, धार्मिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि के विरुद्ध नितान्त विवेशी, मूल्यहीन और विसंगतिपूर्ण जिक्षा दी जा रही है। यह सब सम्भव इसलिए हो रहा है, क्योंकि देश का सम्पन्न वर्ग उन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना अपनी प्रतिष्ठाता का प्रतीक मानता है और प्रशासन भी परोक्ष रूप से उनको प्रोत्साहन देता है। आज जिस तर्क के अन्तर्गत ये प्रशिक्षण सस्थाएँ चल रही हैं वह नितान्त धातक है। इन सस्थाओं का कहना यह है कि चूंकि ये सस्थाएँ बिना सरकार से अनुदान लिये प्रशिक्षण करती हैं और साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा सचालित हैं, इसलिए प्रशासन को हस्तक्षेप करने का विधिकार नहा है। स्वयं सरकार भी यह कहर कि ये सस्थाएँ अल्पसंख्यकों द्वारा सचालित हैं, हस्तक्षेप नहीं करती। किन्तु ये दोनों तर्क असंगत हैं। देश में कौन-सी जिक्षा-ए-द्वितीय लागू होगी, किस प्रकार की जिक्षा दी जायगी, उनका विषय-सम्बन्ध तथा पाठ्यक्रम आदि क्या होगा, इसको राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित होना चाहिए और पूरे देश में, चाहे वे सरकारी प्रशिक्षण संस्थाएँ हों या सार्वजनिक, उनमें आधारभूत सास्कृतिक और सामाजिक एकलूपता होनी चाहिए। सरकार को यह देखना चाहिये कि प्रशिक्षण में इस एकलूपता का निर्वाह हो रहा है या नहीं और यदि नहीं हो रहा है तो इन शैक्षणिक सस्थाओं को समाप्त कर देना चाहिए। यह दुख की बात है कि जान-बूझकर या अनजाने सरकार इस आधारभूत नीति की उपेक्षा करके अपनी गलत उदारता की दुर्वाही देती है। सम्प्रति हम सिवाय ज्ञानिक विरोध के और कर ही क्या सकते हैं। फिलहाल यदि ये कॉन्वेण्ट स्कूल वैकल्पिक रूप में हिन्दी के माध्यम से पठन-पठन की सुविधा विद्यार्थियों को प्रदान करे तो सम्भव है कि यह पनपता हुआ विष कुछ कम हो। इसलिए मैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इस मञ्च से यह मांग करता हूँ कि कॉन्वेण्ट स्कूलों को तत्काल ही हिन्दी को वैकल्पिक रूप में अध्ययन करने की छूट देनी चाहिए तथा हिन्दी के माध्यम से भी परीक्षाओं को आयोजित करके अपनी सदाशयता का प्रमाण देना चाहिए। साथ ही पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति के मूल्यों का समावेश होना चाहिए।

कॉन्वेण्ट स्कूलों की पढाई की चर्चा मैंने यो ही नहीं की। वस्तुत इन स्कूलों का सीधा प्रभाव देश में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं पर पड़ता है। कॉन्वेण्ट स्कूलों से निकले हुए विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित होने के नाते यह सुगमता रहती है कि वे इन प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी निपुणता दिखा सकें। यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने और प्रादेशिक सरकारों ने हिन्दी को एक विषय के रूप में स्वीकार किया है, कहीं-कहीं उसे माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है, किन्तु यह व्यवस्था मात्र औपचारिक है। जबकि आवश्यकता है एक सुदृढ़ नीति की। विषय-ज्ञान अंजित नहीं किया जाता और सभी प्रश्न-पत्र और उनके उत्तर भी अनिवार्यत जब तक हिन्दी में नहीं होंगे, तब तक मात्र हिन्दी को एक

विषय के रूप में स्वीकार करने से उचित फल नहीं मिलेगा। इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में हिन्दी को माध्यम के रूप में स्वीकार करना उतना ही आवश्यक है जितना कि वैयक्तिक स्वतन्त्रता के लिए संविधान में उल्लिखित नैसर्गिक अधिकार।

यह बेद की बात है कि स्वतन्त्रता के ३६ वर्ष बाद भी हमारे विदेश मञ्चालयों में व्यवहार की भाषा अब्रेजी ही बनी हुई है। संविधानिक रूप से हिन्दी को जो स्थान प्राप्त है उसके अनुसार राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी का ही प्रयोग होना चाहिए। किन्तु हीन भावनाओं से ग्रस्त हमारे भारतीय आफिसर्स और विदेश मञ्चालय आज भी अब्रेजी के प्रयोग को जारी रखे हुए हैं। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रभाषा होते हुए भी हम विदेशों में विदेशी भाषा का प्रयोग करके अपने अराष्ट्रीय आचार-विवार का ही पालन करते हैं। सयुक्तराष्ट्र संघ में हिन्दी का अपना पद प्राप्त न कर सकना और अब्रेजी माध्यम से वहाँ अपना काम चलाना नितान्त अपमानजनक है। इसलिए हम हिन्दी साहित्य सम्मेलन के मञ्च से सरकार से मार्ग करते हैं कि शोधावित्तीशीद्वय विदेश मञ्चालयों में हिन्दी माध्यम से काम प्रारम्भ किया जाए और सक्रिय रूप में हिन्दी को सयुक्तराष्ट्र संघ की कार्यालयीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए।

जतनी शक्ति के साथ हमें काम करना चाहिए था, हमने नहीं किया। पिछले ३७ वर्षों की अवधि में हमें देश के भीतर हिन्दी के माध्यम से काय-व्यापार करने में सक्षम होना चाहिए था। थोड़ी देर के लिए हम यह मान भी ले कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तीव्र गति से हिन्दी को प्रतिष्ठित होना चाहिए था वह सम्भव नहीं हो पाया क्योंकि उसमें प्रशासन का हाथ था। किन्तु हम सावंजनिक जीवन में हिन्दी को प्रतिष्ठित कराने में असफल रहे, यह हमारी अपनी अक्षमता का परिचायक है। यह दुख की बात है कि उद्योग-व्यापारादि के क्षेत्र में हिन्दी पूर्णरूपेण प्रविष्ट नहीं हो पायी है। हमें इस दिना में एक ठोस कार्यक्रम बनाकर कार्यशील होना चाहिए और अल्प समय में ही उद्योग-व्यापार के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में योग देना चाहिए। इस दिना में हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने पिछले एक वर्ष में कुछ ठोस कदम उठाये हैं। विधि-क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग की समस्याओं को लेकर हमने एक बृहद् आयोजन किया था जिसके कुछ महत्वपूर्ण नतीजे भी निकले हैं। इसी क्रम में उद्योग-व्यापार में एक बृहद् गोष्ठी जीघ ही आयोजित की जाने वाली है और हमारा विश्वास है कि इस गोष्ठी से भी सावंजनिक जीवन में हिन्दी के प्रचार-प्रसार में विशेष प्रेरणा मिलेगी। मैं हिन्दी की सावंजनिक समस्याओं से यह अपील करता हूँ कि वे अपने-अपने क्षेत्र में व्यापारियों, नागरिकों, बुद्धिजीवियों और उद्योगपतियों की सभाएं बुलाकर इस आनंदोलन को गति प्रदान करें।

हिन्दी की संवैधानिक स्थिति के विषय पर भी यहाँ चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि हिन्दी को संविधान में जो स्थान प्राप्त है उसको मिटाने के लिए कुछ तत्व क्रियाशील हैं। हमारी कमज़ोर राष्ट्रीय नीति के कारण संविधान में कुछ ऐसे संशोधन हो गये हैं, जिनके कारण हिन्दी को अपना नैतिक पद प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। यह बड़े दुख का विषय है कि हमारे राजनीतिज्ञों ने संविधान में संशोधन करके भाषा अविनियम में यह जोड़ दिया है कि यदि देश का कोई भी भाग अंग्रेजी के हटाये जाने का विरोध करेगा, तो अंग्रेजी तब तक बनी रहेगी जब तक वह अल्पमत भी अंग्रेजी हटाये जाने का मर्यादन न करे। यह स्वीकृति अपने आप में ही विडम्बनापूर्ण है, क्योंकि यह अल्पमत द्वारा बहुमत का गला दबाना है। देश की वड्यन्तकारी स्थितियाँ इतनी सशक्त हैं कि वे देश में कभी भी ऐसी स्थिति आने ही नहीं देखी जिससे पूरा देश सर्वसम्मत रूप से अंग्रेजी का मोहत्याग सके। वस्तुत यह बहुमत को अल्पमत में बदलने का कुकूर्य है। इसलिए हमारे देश के विधिवेताओं एवं विद्वानों को कोई ऐसा मार्ग निकालना चाहिए जिससे अल्पमत का यह कुचक समाप्त हो सके और हम इस विडम्बनापूर्ण स्थिति से मुक्ति पा सकें। इस नीति से हिन्दीतर भाषाओं का समुचित विकास भी सम्भव नहीं है। वास्तव में सभी भाषाओं के विकास से ही हिन्दी का सामाजिक रूप विकसित होगा।

संवैधानिक स्तर पर एक और भी समस्या उठ खड़ी हुई है और वह यह है कि शिक्षा के स्तर पर कही शिक्षा के क्षेत्र में द्वि-भाषा फार्मूला है और कही त्रि-भाषा फार्मूला। विडम्बना तो यह है कि त्रि-भाषा फार्मूला से भी शिक्षा की एकलृप्ता नष्ट हो रही है और प्रकारान्तर से अंग्रेजी प्रतिष्ठित हो रही है। इसी का यह परिणाम है कि तमिलनाडु और दक्षिण के अन्य प्रदेशों में त्रि-भाषा फार्मूला के आधार पर अंग्रेजी दूसरी भाषाओं का गला दबाकर हाबी है। वस्तुत त्रिभाषा फार्मूला के आधार पर नीति-निर्धारण होना चाहिए और हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषा को अनिवार्य करके देश की किसी अन्य भाषा को विकल्प के रूप में लेने की सुविधा होनी चाहिए। हम महाराष्ट्र सरकार के आभारी हैं कि उसने अपने प्रदेश में हिन्दी को अनिवार्य बनाकर एक समाधान प्रस्तुत किया है। अहिन्दी भाषाभाषी क्षेत्रों में इसका जितना ही अनुकरण किया जायगा उतना ही श्रेष्ठस्कर होगा। संवैधानिक सन्दर्भ में अरुणांचल और मिजोरम में जो अंग्रेजी को प्रमुखता प्रदान की गयी है वह धातक है, क्योंकि अरुणांचल, मिजोरम और नागालैण्ड की भाषाएँ पूर्णतया विकसित और सुस्थकृत हैं। अंग्रेजी को प्रधानता देने में वहाँ को क्षेत्रीय भाषाओं का हनन हो रहा है। उसे रोकना नितान्त आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि इस दिशा में देश की सार्वजनिक संस्थाओं और प्रतिष्ठानों को एकमत से विरोध करना चाहिये तथा इस अभिशाप से उन प्रदेशों को मुक्त

करके उनको अपना स्वाभिमान और उनकी अपनी स्वायत्ता बापस देनी चाहिए।

मैंने अभी तक हिन्दी भाषा और उससे सम्बद्ध अनेक समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया और जगह-जगह आनंदोलन आदि को रेखांकित किया है। ऐसी स्थिति में पूछा जा सकता है कि हिन्दी के सर्वव्यापी प्रयोग के लिए, देश के सभी भेंतों और वर्गों में प्रेम उत्पन्न करने के लिए क्या करणीय कार्य है? आप स्वयं इसका उत्तर देने में समर्थ हैं। सामान्यत यह कहना तो सरल है कि हमें अपने कार्य-व्यापार में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए किन्तु मात्र इतने से ही हिन्दी आनंदोलन या हिन्दी का प्रचलन और प्रयोग आगे नहीं बढ़ पायेगा। इसके लिए आवश्यक है कि—

१. आप स्वयं अपने निजी कार्य में हिन्दी का अधिक-से-अधिक प्रयोग करे। वैयक्तिक पत्र से लेकर बैंक-व्यापार आदि में भी हिन्दी ही को माध्यम के रूप में स्वीकारे।

२. दूसरा कार्य यह है कि आप जिस विषय के विशेषज्ञ हो, उसमें ग्रंथों की रचना करके प्रकाशित करें, क्योंकि सामान्य पत्र तो सभी लिख-पढ़ सकते हैं, किन्तु दैजानिक और तकनीकी विषयों पर विशेषज्ञ ही लिख सकते हैं। इसलिए विशेषज्ञों की इस दिक्षा में विशेष जिम्मेदारी है।

३. जो विसर्गतियाँ प्रशासानिक, सर्वधानिक आदि कारणों से पैदा हुई हैं, उनके विरुद्ध प्रबल जन-मत तैयार करें, ताकि बहुत-सी सर्वधानिक अडचनों का जनतात्रिक हल लोकमत के आधार पर निकल सके।

४. जहाँ कहीं भी हमें हिन्दी को प्रयोग में लाने का विकल्प प्राप्त हो, वहाँ उसका प्रयोग करे और अप्रेजी की बरीचता को समाप्त करने में अपना योगदान दे।

५. कॉन्वेण्ट स्कूलों का तब तक बहिष्कार करें जब तक कि उन स्कूलों में हिन्दी को बैंकलिपक स्थान प्राप्त न हो।

६. नागरीलिपि और नागरी अक को प्रयोग में लाने के लिए सञ्चक आनंदोलन चलायें।

७. हिन्दी साहित्य सम्मेलन के तत्त्वावधान में स्थापित विभिन्न समितियों से सहयोग प्राप्त करके विधि-क्षेत्र, उच्चोग-व्यापार-क्षेत्र, जिक्षा-क्षेत्र में जो निर्णय लिये गये हैं, उनको कार्यान्वित करने के लिए प्रयत्नशील हो।

८. क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृतियों के प्रति उदार होकर उनकी प्रतिभाओं और विशेषताओं को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की चेष्टा करें।

९. सरकारी और सार्वजनिक स्तर पर ऐसी अनेक पत्रिकाएँ निकलनी चाहिए जिसमें विभिन्न क्षेत्रों और भाषाओं का विस्तृत परिचय और अध्ययन करके, विचारों का पारस्परिक आदान-प्रदान सभव हो सके।

१०. हिन्दी भाषाभाषियों को दक्षिण की किसी न किसी एक भाषा को अनिवार्यत सीखना चाहिए ताकि अहिन्दी भाषाभाषी क्षेत्र के लोगों को विश्वास का आश्वासन मिले और सन्देह की भावना नष्ट हो।

द्वितीय राजभाषा उद्दू कैसी होगी ?

पद्मभूषण डा० श्रीनारायण चतुर्वेदी

उद्दू के स्वरूप के बारे में सामान्य लोग ही नहीं हिन्दी के बहुत से विद्वानों को भी भ्रम है। वे समझते हैं कि सिनेमा में या लखनऊ आदि बड़े नगरों में जो बोली समाज के एक विशेष स्तर में बोली जाती है, जिसमें बीच-बीच में कुछ चलते हुए फारसी के बे प्रब्द आ जाते हैं, जिनसे वे परिचित हैं, वही उद्दू है और उसी को द्वितीय राजभाषा बनाने की माँग की जा रही है। हिन्दी के अनेक साहित्यकार उद्दू नहीं पढ़ते। वे यह कह कर सतोष कर लेते हैं कि उद्दू तो हिन्दी की एक जैली है। उनकी यह गलत धारणा है कि यदि वह देवनागरी लिपि में लिखी जाये तो वे उसे समझ लेंगे। उन्हे यह नहीं मालूम कि आज उद्दू वाले जिसे उद्दू कहते हैं, उसका रूप हिन्दी से कितना भिन्न है, या उसका कितना अधिक फारसीकरण हो गया है। वह हिन्दी से कितनी दूर चली गई है। बहुवचन बनाने आदि में वह फारसी और अरबी के व्याकरण से नियत्रित होती है। जैसे उसमें 'वकील' का बहुवचन "वकीलों" न होकर "वकला" होता है। जिस उद्दू की माँग की जा रही है वह फारसी से बोलिल है, उसके व्याकरण से बहुत कुछ नियत्रित है। उसमें उपमा, अलकार, सदर्भ फारसी माहित्य या मध्यपूर्व एशिया के हैं। उसका आधार फारसी और मध्यपूर्व एशिया की सस्कृति है। उसमें भारतीय संस्कृति नाममात्र को है। वही उद्दू आज उद्दू लेखकों, भाषण देने वालों और उद्दू का प्रचार करने वालों की निगाह में उद्दू है। उसी उद्दू को राजभाषा बनाने की माँग की जा रही है। यह भी जर्त है कि वह विदेशी फारसी लिपि में लिखी जाये। राज्य की जनता और हिन्दी के उक्त विद्वानों और सामान्य हिन्दी-शिक्षित लोगों की जानकारी के लिए आज की उद्दू के कुछ नमूने दिये जा रहे हैं। ये नमूने समाचार-पत्रों, कहानियों, उपन्यासों, उद्दू विद्वानों के लेखों और पुस्तकों से लिये गये हैं। इन्हे उन पत्र-पत्रिकाओं और उद्दू के उन मान्य लेखकों की पुस्तकों में लिया गया है जो सहज में मिल गयी। इन्हे किसी क्रम में छाँटा नहीं गया। उद्दू की जो पुस्तक या पत्र हाथ लगा उसे खोलने पर जो अश सामने आ गया, वही लिख लिया गया है। कविता चुनने में ध्यान रखा गया है कि प्रसिद्ध हिन्दू-मुसलमान उद्दू कवियों की कविताओं से कुछ पवित्राओं द्वारा जाये।

समाचारपत्रों, कहानियों और उपन्यासों में सभी लेखक भरतक सरल भाषा का प्रयोग करते हैं क्योंकि इन्हें विद्वान ही नहीं, कम शिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। पहले सरल उद्धरण के नमूने, फिर विद्वानों की कविता और 'स्टैण्डर्ड' उद्धरण के नमूने देखिये।

उद्धरण समाचारपत्रों के शीर्षकों की भाषा के उदाहरण—

१. हुक्मत मजदूरों के हुक्म ग्रस्त कर रही है।

—सियासत जदीद, २६-२-८२

२. अम्न के नाम पर इश्तेआल फैलाने की दिल-आजार कोशिशें।

—बिल्डर उद्धरण, २४-२-८२

३. हिंज्बे मुख्यालिफ के इत्तेहाद के इम्कानात मादूम। जाब्ता कमेटी तोड़ दी गई।

—कौमी आवाज, २४-२-८२

उद्धरण समाचारों की भाषा के कुछ नमूने—

लोक दल के तीन पार्टियों के तालमेल के तोड़ देने के एकतरफ़ा फ़ैसले ने हिंज्बे मुख्यालिफ के इत्तेहाद के इम्कानात मजीद मादूम हो गये हैं।

—कौमी आवाज, २४-२-८२

मोआहदये शिम्ला के जरिये दोनों मुमलिकत ने बाहम जग न करने का अहेद कर लिया है। नाजग मोआहदे की तजबीज़ हिन्दोस्तान के अफसर व ख्यालात का आईना है।

—कौमी आवाज, २७-२-८२

नई देहली-२५ फरवरी आज लोकसभा में ... हुक्मत की तरफ से मजदूरों के खिलाफ़ किये जाने वाले मोअब्यना सच्च इकदामात पर एहतेजाज करते हुए हिंज्बे मुख्यालिफ से तबाल्लुक रखने वाले अराकीन बड़ी तादाद में एवान से बाकबाउट कर गये।

—सियासत जदीद, २६-२-८२

कलकत्ते की अम्न की फ़ज़ा की परागदा करते की कोशिशों की गयी लेकिन शुक्र है जिसे बांया बाजू हुक्मत ने बर बबत मुदाल्लत करके नाकाम कर दिया।

बिल्डर उद्धरण, २७-२-८२

यूनिवर्सिटीज अवधि कमाल को ऐसी डिप्रियाँ देकर अपने बजन व बकार में इच्छाकरती है। कश्मीर यूनिवर्सिटी को हम मुवारकबाद पेश करते हैं कि

इलम व फन के एक सीमुर्ग के एक हुमा और खुतकलामी व हेवा बथानी के एक अन्दलीब को अपने हड्डों में लेकर अपनी तौकीर बढ़ाई बर्ना भौतानाथे मुहतरम के हत्वे का शहवाज् एक ऐसे सदत्तुलमुंतहा पर बैठ चुका है जहाँ इनको किसी कल्पी की जरूरत नहीं ख्वाह वह कैसी ही जरी और मुकलल हो।

—“मुआरफ” १९८१ (गुजरात)

मजहब की तबदीली के हालिया बाव़यात का तबाल्लुक अकायद से नहीं है। यह बाव़यात समाज के खिलाफ एक बगावत की हैसियत रखते हैं और इस बगावत को रोकने के लिये इसके अस्वाव को सत्तम करना होगा।

—कौमी आवाज् एडीटोरियल, २४-२-८२

बद कहानियों और उपन्यासों की भाषा के नमूने देखिये—

शाहीन खूबसूरती से ज़्यादा ज़ेहानत के लेहाज से दिलचस्पी की मुस्तहर थी। वह हीनहार, हँसमुख, हाजिरजबाब और बहुत ज़्यादा जिद्दतपरान्द थी। हर नई चीज पर मिटाना उसकी फितरत में शामिल था। वह नये अन्दाज़ से अपने को सवारना प्रसंद करती थी। मशिरकी माहौल में जहाँ लम्बे बालों को ही खूबसूरती खायाल किया जाता है उसने बाल कटवाने का जुरअतमदाना एकदाम किया। तान व तशनीब की क़तई परवाह नहीं की।

—नया दौर, दिसम्बर १९८१

मियां ‘आजाद’ जब धर से निकले गिरिट की तरह रंग बदलते रहे। कभी दर्वेश शेखूखत पनाह, बली अल्लाह, आरिफन्द-अल्लाह, हक् अगाह, मशी-खत दस्तगाह, कभी जुरआ-नोश, मगबर्ज बादा करोश, रिन्दे आजाम, मुबह को शराब, काम को जाम, कभी पहलवान कभी फिरैन बन गये।

—फ़िजानैय आजाद

कमलदेवी अताउद्दीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है— “नहीं हूँजूर मैं कुफराने नेमत नहीं कर सकती। मगर यहाँ महाराज का शुक्रिया अदा करने की ज़हर जुरअत करती मगर मेरी खुशक जबान, मेरे परेशान हवास और उदूँ जबान से मेरी नावाकिफ़्यत मुझको जबान खोलने की इजाजत नहीं देती।” मौहम्मद अली तबीब-खिज्जाँ देवलदेवी

“काले खीं की कुर्बानी अमरकान्त की जिदगी का शीराज़ बन गई। इसमें तड़पन न थी, बेकरारी न थी, इस्तेहकाम न था, फोरी तग़ मुरात के झोके इसके बर्कों को परेशान करते रहते थे। इस शीराज़ ने इसमें तबाजुन और दिली मुतावक़्त पैदा कर दी।”

—मुंशी प्रेमचन्द - मैदान अमली

अब सामान्य उद्दूँ गद्य साहित्य के कुछ नमूने दिये जाते हैं—

अद्व ख्याल और ज़बान की एक ऐसी तखलीकी इकाई का नाम है जिससे मसर्रत के साथ बसीरत हासिल होती है। अद्व में जमालियाती कैफीयत ज़ज्बाती और तखलीकी अन्तर की आमेजिश से पैदा होती है और इसका इच्छाहर ज़बान की मजाज़ी शब्दों यानी तश्वीह, इस्त्यारा, पैकर, अलामत, कनाया, मजाज, रसल और दूसरे तखलीकी रिश्तों के ज़रिये ज़ाहिर होता है।

'शायर' उद्दूँ के मुक़तदर जरीदों में से एक हैं। इसे उद्दूँ तहजीब नुमायन्दा कहना गलत न होगा। 'शायर' उद्दूँ अद्व की स्विदमत और तरबकी व तर्बजी की एक रवायत का नाम है जिसकी इब्तदा १८३० में हुई। यह एक अद्व-आको जरीदा है जिसके इजराब के बाद से इसने न सिफ़ आला व सेहतमद अद्व शाया किया बल्कि शायरों और अदीबों की मुतअद्दद नस्लों की तरबीयत व तरबकी में मुवानत की। आगाज़ 'शायर' से किया।

—'आजकल', दिसम्बर १८८१ 'कु वरसेन'

—रिवियु माहनामा 'शायर' लास नम्बर १८८०

'शेष ता' ने जिन शोबरा की तारीफ़ की है इनमें से बेश्तर वही है जिनकी नारीफ़ बाज तक तमाम सुखन-संज व सुखन-कहम नक्काद करते चले आये हैं लेकिन बाज की तारीफ़ के सिल्सिले में 'शेष ता' ने जो सीरे अफज़ल-उल-मुतह़फ़ ज़न के इस्तेमाल किये हैं वह उनके हरीकों के लिये तो सक्रिय थे ही लेकिन ऐसा मालूम होता है कि खुद इनके ममूहीन को भी इसका एहसास हो गया था कि "रकाव किर्ज़ उल्सलान की बोसा-देही के लिये कुर्सीएनुह-रुक क ज़ेर पाये अन्देशा।" रख दी गई है।

(खादिल हुसेन 'कादरी')

—मआरिफ, फरवरी १८८२

मुतअद्दद मध्यसूत व जख्तूतों का कमाहका पढ़ना भी कोई आसान काम नहीं। अहले-ज़बान को भी इससे ओहदा-बरबा होना मुश्किल है चेजाये कि किसी मगिरवी से यह तबक को की जाय कि वह हफ़्न-हफ़्न इसे पढ़कर इस करार-बाकई तौर पर इस्तेहराज़ व इन्विसात कर सकेगा।

(खालिद हुसेन 'कादरी')

—मआरिफ, फरवरी १८८२

उद्दूँ साहित्य और काव्य के कुछ नमूने—

करता है तो तैं सवादनामा यूँ हफ़्न है नव श पाये खामा

यह दामने दश्ते शैक का खार यानी ताजउलमुलूक दिल जार

एक जंगले में जा पड़ा जहाँ गर्दं सैहराय अदम् भी था जहाँ गर्दं
(गुलजार नसीम—पै॑० दयाशंकर कौल)

गुमाँ आबाद हस्ती में यकी मर्दं मुसलमा का
बयाबा की शवे तारीक में कंदील रहवानी
मिटाया कँसरो कसरा के इस्तम्बाद को जिसने
वह क्या था जोर हैदर, फुके बूजर, सिद्धे सलमानी ॥

—इकबाल

गुबार आलूदए रगो नसब है बालो पर तेरे
तु ऐ मुगे हरम उडने से पहले पर-फिशां होजा
खूबी में दब जा गाफिल यह सर्दे ज़िन्दगानी है
निकल कर हल्कए शामो सहर से जाविदां होजा ॥

—इकबाल

इसमे खूबी सी कुछ आईने मुकाफात की थी
कुछ जूनूलेज बगावत सी भी जज्बात की थी
इक फर्हून्साज ज़रारत सी कुछ रात की थी
वर्ना उसको न मुझीको खबर इस बात की थी
कि यह रात मुकद्दर में मुलाकात की थी
ठडी काफी —आनन्द नरायन ‘मुला’

‘रामायन का एक सीन’

खबूसत हुआ वह बाप से लेकर खुदा का नाम
राहे बफा की माँसे अब्बल हुआ तमाम
मजूर था जो माँ की जियारत का एहतमाम
आखिर से अस्क पोछ के दिल से किया कलाम
आखिर है कुछ हद्दे सितमो जुलमो जौर भी
हमको उदास देव के नम होगा और भी
ऐ खाके हिन्द तेरी अजमत मे क्या गुमा है
दरवाए कैजे कुदरत तेरे लिये रखा है।
तेरी जबी से नूरे हुस्ने अजल अर्या है
अल्लाह रे जो बो जीनत क्या अौजे इज्जोशां है
हर सुबह है यह खिदमत खुर्जेंद पुर जिया की
किनौं से गुंधता है चोढ़ी हिमालिया की

—बृज नरायन ‘चकवस्त’ लखनवी

तोही कलाई जुल्म की जिन्दों के दर खुले
 जजीर कट के गिर गई बावे बसर खुले
 बसों के बाद दुत-शिकन ओ हकनिशर खुले
 ये जितकी आरजू में वह राजे सहर खुले
 खुशबू बुली फजाओ मे दिल शाद हो गये
 गुलशन के फूल कैद से आजाद हो गये

वह बन्देमातरम की सदा वह सभों का जोक्ष
 टकरा गये पहाड़ से गाँवीं व सरफरोक्ष
 हैरत से देखती रही दुनिया अलम बदोक्ष
 एक मद्द बावका का वह अन्दाज फिक्को होक्ष
 पसपा किया हरीफ को हर हर महाज पर
 लड़ता रहा निहत्था वह दुष्मन से देखतर

(वकार 'नासरी' —नवादोर, १९८१)

खालिके नवशीय फिरोसे वरी शाहजहाँ
 तुझ पे रोकत थे यह असरारे हकीकत जायद
 बक्त है अस्ल मे एक सैले रवाँ तेज कदम
 जिसकी एक लहर में एक मौज मे बहे जाते हैं
 सरबतो दीलतो इकबालो जफर जाहो हजाम
 जिदगी हुल्लो तबानाई, जवानी दम खम
 तूने इन आर्जी चेहरो से तगाझुल बर्ता
 कुछ न समझा इन्हे रंगीन फरेबो के सिवा
 और यह चाहा कि इसी कारगहे फानी मे
 तेरे ददों गमे पिन्हाँ को मिले उम्रे दवाम
 हशर तक जिदा ओ पाइन्दा रहे इस्क का नाम
 (बालम 'फतेहपुरी'—नवादोर, सितम्बर १९८१)

उर्दू के इन उदाहरणो से हिन्दी वालो को कुछ आभास हो जायगा कि किस "उर्दू" भाषा को भारत के इस हृदय-देश मे द्वितीय राजभाषा बनाकर उसे दूर प्रतिशत जनता पर लाइने का प्रयत्न किया जा रहा है। द्वितीय राजभाषा बनाने पर सरकारी नौकरियो मे ही नही, म्यूनिसिपलिटियो, नोटिफाइड और टाउन एरियाओ, यहाँ तक कि कोआपरेटिव सोसाइटियो और ग्राम सभाओ मे कुछ लोग इस उर्दू के उपयोग की माँग वर सकते है, और द्वितीय राजभाषा होने के कारण उसका उपयोग करने से मना नही किया जा सकेगा। इस प्रकार द्वितीय राजभाषा के रूप में यह सभी को पढ़नी होगी। यही नही, उर्दू वाले इसे

फ़ारसी लिपि में लिखने की अनिवार्य शर्त लगते हैं। इसलिये हमारे राज्य में उद्दृ भाषा ही नहीं, फ़ारसी लिपि भी सीखना प्रायः अनिवार्य हो जायगा। द्वितीय राजभाषा होने के कारण शिक्षा विभाग और शिक्षा बोर्ड को उसका पहना अनिवार्य करना होगा तथा परीक्षाओं के सब प्रश्न-पत्र उर्दू में भी छापने पड़े नहीं तो “माइनरिटीज़” के हितों की रक्षा न हो सकेगी।

हमारे मंत्री, विधायक, नौकरजाह, अधिकारी, कर्मचारी इन नमूनों को पढ़कर देखे कि वे इस भाषा को कितना समझ सकते हैं। उन्हे यह भाषा सीखनी होगी, यदि न भी सीखें तो विद्धान सभा में उर्दू के भाषण या विज्ञप्तियाँ समझने के लिए उन्हे एक “फ़ारसी-हिन्दी” कोश की आवश्यकता होगी। विधान सभा और शासन का काम ठीक तरह से चलाने के लिये वित्त मंत्री को एक ऐसा बृहद् “फ़ारसी-हिन्दी” कोश तंयार कराकर मंत्रियों, मंत्रियों के सहायकों, सचिवों से लेकर सहायक सचिवों, विधायकों और राज्य के विभिन्न विधायकों को देना होगा। फ़ारसी कोश इसलिए आवश्यक होगा कि कियाओ, विभिन्न विधायकों और सर्वनामों तथा कुछ संज्ञाओं को छोड़कर इसमें अधिकांश फ़ारसी शब्द ही होते हैं। हिन्दी जानने वाले उन्हे तभी समझ सकेंगे जब उन्हे उनका अर्थ हिन्दी में बताया जाय। मैं थोड़ी उर्दू जानता हूँ किन्तु इन नमूनों के अनेक शब्द मुझे ‘लुगत’ में देखने पड़े। एक नमूने में “जर्री और मुकल्लल” आया। “जर्री” के अर्थ तो मैंने लगा लिए पर “मुकल्लल” ने मूझे एकदम परास्त कर दिया। बड़ी कठिनाई से और प्रयास के बाद मालूम हुआ कि उसके अर्थ “जड़ाऊ” (जिसमें नग या रत्न जड़े हो) है। ‘जड़ाऊ गहने’ साधारण लोग समझ लेते हैं। किन्तु ‘जड़ाऊ’ ‘रौंवाह’ शब्द है। वह शाही ज़बान फ़ारसी में “फिट” नहीं बँठता, इसलिये “मुकल्लल” इस्तेमाल किया गया। स्कूली जीवन में मेरे उर्दू पड़ने वाले साथियों ने उर्दू ली थी। उनकी उर्दू की किताब में एक बहिर्या जेर था, जिसे वे बहुधा सुनाया करते थे:—

पश्चो, से साथे शेव-ए-मर्दानी कोई

जब क़स्दे-र्खूं को आये तो पहले पुकार दे।

तब मेरी समझ में नहीं आता था कि शायर ने “मच्छर” ऐसे शब्द के लिए “पश्चो” का क्यों उपयोग किया है। अब समझने लगा है कि वही उर्दू है जिसमें इस देश के शब्द कम से कम उपयोग में लाये जाये और विदेशी भाषा फ़ारसी के अधिक से अधिक शब्द लाये जाये।

इस राज्य की जनता का ध्यान एक और बात की ओर दिलाना आवश्यक है। उर्दू हमें कितना भारतीय बना देती है, उसका एक नमूना भी इन नमूनों

में है। पंडित विरज नरायन 'चकवर्स्त' शायद कौम से "विरहमन" थे और नाम से मालूम पड़ता है कि उनका मन्त्रहव्व हिन्दू था। वे उद्दू' के बहुत बड़े "कौमी शायर" थे। उन्होंने एक नउ म भगवान रामचन्द्र जी पर भी लिखवे की भेहर-बानों की। उसमें भगवान रामचन्द्र जी बनवास पर जाने के लिए अपने पिता महाराज दशरथ से विदा होकर अपनी माझा के पास जा रहे हैं। पंडित जी ने उसे इस तरह अदा किया है—

“रुखसत हुआ वह बाप से लेकर खुदा का नाम”

गद्य में इसका अन्वय होगा “वह (राम) बाप से खुदा का नाम लेकर रुखसत (विदा) हुआ”。 यहाँ आदरसूचक ‘रुखसत हुए’ न कहकर कुली-कवाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एकवचन का उपयोग किया गया है। यह हिन्दुओं के आराध्य के प्रति कितनी अविष्टता और अवमानना है? दूसरी बात जो ध्यान देने की है वह “लेकर खुदा का नाम” है। हमारे भगवान रामचन्द्र जी के मुँह से “खुदा का नाम” निकलवाना शायर की शिष्टता और सत्सृष्टि है।

सब लाल बदलाँ से लिये दुर्दृ अदन से

यहाँ मध्यपूर्व की संस्कृति बोल रही है। जनाव चकवर्स्त को सौता जी के ओठों की उपमा बदलाँ के लाल (माणिक) और दौतों की उपमा अदन के मोतियों (दुर) से देने की सूझी। उहें कोई भारतीय उपमा नहीं मिली। मिलती कैसे? उद्दू' साहित्य, पढ़ने वाले को मध्यपूर्व एशिया की संस्कृति सिखाता और उसमें दीक्षित कर देता है। वह भारतीयता से कट जाता है। यह ऐसा विषय है जिसे विस्तार से बदल में लिखा जावेगा। इस राज्य के नायरिक को हम मस्तिष्क और भावना से भारतीय बनाना चाहते हैं या मध्यपूर्व एशिया का निवासी?

किन्तु इस समय पाठक यह देखें कि जिस भाषा को हम पर घोपने का प्रयास किया जा रहा है, उसका स्वरूप क्या है और क्या वह हमारे और हमारी सतान की उन्नति में बाधक होगी या साधक?

कुछ प्रश्न

उद्दू' को दूसरी राजभाषा बनाने के समर्थकों से मैं बड़ी विनम्रता के साथ कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। उत्तर देते समय यह याद रखिये कि यदि उद्दू' को द्वितीय राजभाषा बना दिया गया तो (१) सरकारी कामकाज फारसी लिपि में इसी उद्दू' में करना होगा जिसके कुछ सामान्य उदाहरण दिये जा चुके हैं। अधिकारी तथा कर्मचारी आवश्यकता पड़ने पर इसी भाषा और लिपि को पढ़ते और लिखने और बोलने को बाध्य होगे, (२) सरकारी सेवा में द्वितीय राजभाषा

उद्दू' का उक्त स्तर का ज्ञान और कार्यकुशलता अनिवार्य कर दी जायगी, (३) राज्य की द्वितीय भाषा होने के कारण हाईस्कूलों और इंटर कॉलेजों में उक्त प्रकार की उद्दू' का पढ़ना तथा फ़ारसी लिपि में उसका लिखना अनिवार्य कर दिया जावागा, (४) विधान मंडलों में जो सदस्य चाहेंगे वे उसी में बोल सकेंगे। उनके भाषण कारसी लिपि में आशुलिपि में लिखे जायेंगे तथा विधान मंडलों की कार्यवाही में इसी लिपि में छापे जायेंगे। प्रश्न भी उसी उद्दू' में किये जा सकेंगे और मंत्रियों को उनके उत्तर भी इसी भाषा में देने होंगे, (५) सरकार की सब विज्ञप्तियाँ, आदेश, रिपोर्ट, बजट, राज्यपाल का भाषण तथा अन्य सभी प्रकाशन इसी उद्दू' भाषा और फ़ारसी लिपि में भी प्रकाशित करने होंगे।

मेरा पहला प्रश्न मंत्रियों और विद्यायकों से है।

क्या आप उपर्युक्त स्तर की उद्दू' में दिये गये भाषणों को ठीक तरह से समझ सकेंगे? यदि ठीक तरह से न समझ सके तो उनका उत्तर कैसे देंगे? उद्दू' प्रश्नों का उत्तर उद्दू' में ही देना होगा। क्या आप यह उद्दू' बोल सकेंगे? यदि आप उद्दू'भाषी विद्यायकों को अपनी बात समझाना चाहेंगे तो क्या आप उसे ऐसी उद्दू' में कह सकेंगे जिसे वे बोलते था समझते हैं? अथवा सम्युक्त राष्ट्र सभ की तरह आप ऐसा प्रबन्ध करेंगे कि आप जो कुछ हिन्दी में कहें वह आपके कहने के साथ ही अनुवादित होकर उद्दू'भाषी विद्यायकों को उद्दू' में सुनाई पड़े? क्या आपके पास ऐसे साधन और ऐसे आशु अनुवादक हैं जिनका इस उद्दू' और हिन्दी पर समान अधिकार हो? अधिक जी भी कभी-कभी ऐसी भाषा में ही बोलना होगा और उनके व्यवस्था आदि देने के लिए ऐसा ही तात्कालिक अनुवाद का प्रबन्ध करना होगा। क्या यह सब हो सकेगा?

मेरा दूसरा प्रश्न उत्तर-प्रदेश के ८५-८६ प्रतिशत हिन्दीभाषियों, बुद्धिजीवियों और उनके राजनीतिक प्रतिनिधियों से है। क्या आप अपने बच्चों को यह अतिरिक्त भाषा पढ़ाने को और फ़ारसी लिपि सिखाने को तैयार हैं? इस उद्दू' और फ़ारसी लिपि को सीखने तथा इसमें परीक्षा देने के लिए उन्हें कितना परिश्रम करना होगा, इसका आपको अनुमान है? क्या वे वर्तमान विषयों के अतिरिक्त इस भाषा के लिखने-पढ़ने का बोझ सहन कर सकेंगे?

तीसरा प्रश्न उत्तर प्रदेश के विद्यायियों से है। क्या आप लोग इस भाषा को, जिसके नमूने दिये गये हैं, पढ़ने और फ़ारसी लिपि को शुद्ध रूप से लिखने की कुशलता प्राप्त करने को तैयार हैं? यदि उद्दू' द्वितीय राजभाषा बना दी गयी तो आपको इसे पढ़ना ही होगा क्योंकि राज्य से मान्य भाषा का दर्जा पाने पर स्कूलों में इसका पढ़ना सरकार राजभाषा हिन्दी की तरह अनिवार्य कर देगी।

जो युवक सरकारी नौकरी करना चाहेगे उन्हें इस उद्दृ और फारसी लिपि के पर्याप्त ज्ञान के बिना नौकरी न मिलेगी।

मेरा चौथा प्रश्न सरकार से है। वह यह कि दो प्रतिशत में भी कम लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा को द्वितीय भाषा बनाने से इस गरीब और करो (टेक्सो) के भार से परेशान राज्य का कितना व्यय बढ़ जायगा? राज्य में सचिवालय से लेकर जिलों के जिन अधिकारियों को आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) दिये जाते हैं, उद्दृ के आशुलिपिक देने होंगे। इनकी कितनी सूचा होगी? राज्य के लिए कितने उद्दृ टाइपराइटर खरीदे जायेंगे और कितने टाइपिस्ट रखे जायेंगे? इनके लिए कितना अतिरिक्त कागज, मेज, कुर्सियाँ, कार्बन पेपर, रिबन आदि की आवश्यकता होगी? सचिवालय के विभिन्न विभागों में हिन्दी के आदेश, जापो, विज़ाप्तियों, रिपोर्टों आदि का हिन्दी से उद्दृ में, और उद्दृ से हिन्दी में अनुवाद करने के लिए कितने अनुवादक रखे जायेंगे? भाषा विभाग में उद्दृ विभाग खोलकर उसका कितना विस्तार करना होगा? बजट आदि को उद्दृ में भी पेज़ करना होगा। सभी या अधिकार भाषा सरकारी आदेश आदि उद्दृ में भी छपाने होंगे। इस समय गवर्नर्मेट प्रेस की उद्दृ में इतना काम करने की क्षमता नहीं है। गवर्नर्मेट प्रेस में एक नया उतना ही बड़ा उद्दृ विभाग खोलना होगा जितना बड़ा हिन्दी का विभाग है। गवर्नर्मेट प्रेस के इस विस्तार में कितना व्यय होगा?

इसमें, तथा उद्दृ को द्वितीय भाषा बनाने के परिणामस्वरूप जो नयी नियुक्तियों करनी होगी या जो सामान खरीदना होगा, उसका आवर्तक (रिकारिंग) और अनावर्तक (नॉन-रेकारिंग) व्यय कितने करोड़ वार्षिक और एकमुश्त होगा? आपको आज ही विकास योजनाओं पर व्यय के लिये धन जुटाने में परेशान हो रही है। कार-भार अपनी ही इतना अधिक है कि जनता उससे पिसी जा रही है। आप आज के व्यय को ही पूरा नहीं कर पाते। आपको कितना अधिक ओवर ड्रूपट सेना पड़ रहा है? प्रतिवर्ष आप जनता से कितने करोड़ का झूँट लेते हैं और उसका व्याज जनता के करो से दिया जाता है? उद्दृ को द्वितीय भाषा बनाने पर जो करोड़ों रुपयों का आवर्तक व्यय बढ़ जायगा, उसे पूरा करने का क्या आप ऐसा प्रबन्ध कर सकेंगे कि करो और महगाई से व्रस्त इस राज्य की जनता पर बोझ न पढ़े? क्या आप मेरुदृ की मांग करने वालों पर इस अपव्यय के लिए “उद्दृ सेस” लगाने का साहस है? क्या आपने उत्तर प्रदेश की ८५ प्रतिशत जनता में अलोकप्रिय इस कदम को उठाने के पहिले इसके राजनीतिक, भावनात्मक, प्रशासनिक तथा आर्थिक परिणामों पर ठड़े दिल से विचार किया?

उद्धू के प्रति हिन्दी वालों का दृष्टिकोण —

हिन्दी वालों का उद्धू के सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण है, उसे संक्षिप्त ने बता देना आवश्यक है।

(१) राजस्थानी पुरुषोत्तम दास टडन उद्धू को हिन्दी की एक शैली मानते थे। भाषा की दृष्टि से उद्धू हिन्दी का ही एक रूप है। यद्यपि संविधान ने उसे स्वतंत्र भाषा माना है तथापि अधिकांश हिन्दी वाले उसे अब भी हिन्दी की एक शैली ही मानते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। दोनों की कियाये, विभिन्नतायाँ, दोनों मूलत एक हैं। किन्तु संविधान के कारण हम उसे स्वतंत्र भाषा मानने को बाध्य हैं।

(२) हिन्दी वाले उद्धू को अपनी एक शैली समझने के कारण उसके सरल और हिन्दी की प्रकृति में आ जाने वाले शब्दों को बिना किसी स होच के बराबर इस्तेमाल करते रहे हैं। सूर और तुलसी तक ने करार, जहर, गरीबनिवाज, निमकहरामी, गुलाम ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। आज भी सामान्य लेखक उद्धू शब्दों का बहिष्कार नहीं करते।

हिन्दी वाले उद्धू के प्रति सद्भावना रखते हैं। हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में उद्धू की कहानियाँ, मञ्जुले आदि बराबर छपती हैं।

(४) किन्तु हिन्दी और उद्धू के लेखकों और साहित्य में जो भेद है उसके कारण दोनों शैलियाँ एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। वे भेद यह है—

(क) हिन्दी साहित्य ने सदैव भारत या हिन्दोस्तान की बात कही, सोची, और प्रचारित की। उसकी दृष्टि सदैव अद्वितीय भारतीय रही। उसने अपने साहित्य में भारतीय पशु-पक्षियों, नदियों, प्राचीन भारतीय महापुरुषों, वीरों और वीरोंगताओं का उपयोग किया।

उसका सौदर्यवोध भारतीय है। उसकी उपमाएँ, उसके अलकार, उसके विचार भारतीय हैं। वह सदैव अद्वितीय एकता का प्रचार करती रही है। उसके साहित्य में सकीर्णता नहीं है। वह सभी क्षेत्रों और वर्गों जैसे सिक्ख, मुसलमान, ईसाई, सभी के प्रति आदर के भाव दिखलाती रही है।

इसके विपरीत उद्धू का दृष्टिकोण भारत के प्रति उदासीन है। वह मध्यपूर्व की सरकृति, विचारों, वहाँ के पशु-पक्षियों, वीरों (हीरो) का गुणगान करती है। वह भारतीय सरकृति, इतिहास और विचारों की उपेक्षा करती है और मध्यपूर्व

को संस्कृति और इतिहास का, जो अभारतीय है, प्रचार करती है। यहाँ केवल संकेतमाला दिया गया है। इस विषय पर विस्तार से एक लेख अलग लिखा जायेगा।

(ख) सविधान में हिन्दी को इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को स्पष्ट कर सरकार का कर्त्तव्य इस प्रकार निश्चित किया गया है “हिन्दी की बढ़ि करना, इसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके।” हिन्दी यह काम अपने जन्म से बराबर करती रही है और हिन्दी वाले अब इस कार्य में और सचेत हो गये हैं।

इसके विपरीत उद्भुत भारत की सामाजिक संस्कृति (इण्टरेटेड कल्चर) की कौन कहे, केवल मध्यपूर्व की संस्कृति का प्रचार करती है। वह अब तक भारत की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति करने में एकदम असमर्थ रही है। वह भारत की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति न करके केवल मध्य-पूर्व और अरब की संस्कृति की अभिव्यक्ति करती है।

(ग) सविधान में हिन्दी के लिये लिखा है—“इसकी (हिन्दी की) आत्मीयता (प्रकृति) में हस्तक्षेप किये विना हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची में दी गयी भारतीय भाषाओं के रूप, झंली और पदाबली को आत्मसात करते हुये तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ उसके शब्द-भण्डार के लिए मुख्यत संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से जब्द यहू करते हुये उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना।”

इसके विपरीत उद्भुत भारत का शब्द-भण्डार भारतीय भाषाओं से समृद्धि न करके अभारतीय अरबी और फारसी शब्दों की भरमार से किया जाता है। सामान्य चलते हुए हिन्दी शब्दों के स्थान पर फारसी या अरबी शब्दों का प्रयोग करना उसमें गौरव की बात समझी जाती है (जैसे मच्छर ऐसे चलते जब्द के लिए सामान्य कविता में फारसी का ‘पश्चा’ लिखना)। इस कारण वह दिनोंदिन अधिकाधिक अभारतीय और कठिन होती जा रही है।

(घ) उसकी लिपि अभारतीय है। उसमें शुद्ध रूप से इस देश की भाषाओं के शब्द नहीं लिखे जा सकते हैं। ऐसा सामान्य नाम जैसे “राम प्रसाद” भी “राम परसाद” ही लिखा जाता है। वह लिपि अभारतीय तो है ही वह अनेक भारतीय शब्दों को ठीक तरह से लिखने में भी असमर्थ है। भारत की सामाजिक एकता के लिए इस शर्ती के आरम्भ से ही जस्टिस शारदाचरण मित्र ने सब

भारतीय भाषाओं को देवनागरीलिपि में लिखने का आनंदोलन चलाया था और 'देवनागर' नामक सामिक पत्र निकाला था जिसमें सभी भारतीय भाषाओं के लेख देवनागरी में शुद्धतापूर्वक छापे जाते थे। आचार्य विनोद भावे भी उसी का प्रचार अभी तक कर रहे थे। किन्तु उद्दूँ वाले अभारतीय फारसीलिपि—जो इस देश की भाषाओं के लिये अनुपयुक्त है—छोड़ने को तैयार नहीं। क्योंकि न तो वे भारतीय भाषाओं के शब्द लेना चाहते हैं और न अरबी, फारसी से अधिकाधिक शब्द लेना बद करना चाहते हैं।

अतएव उद्दूँ हिन्दी की एक शैली होते हुए भी उद्दूँ वाले उसे लिपि और शब्दावली में मध्य-पूर्व की सस्कृति की वाहिका और विदेशी अवैज्ञानिक लिपि का प्रयोग कर, उसे अभारतीय बनाने का आग्रह कर, इसे न तो भारतीय बनने देते हैं और न इसे भारत की सामासिक सस्कृति के प्रचार का माध्यम ही।

हिन्दी वाले फिर भी उद्दूँ का विरोध नहीं करते। आज तक हिन्दी के किसी विद्वान् ने मुंशी रघुपति सहाय 'फिराक' गोरखपुरी (जो मेरे अभिन्न मित्र थे) की तरह "मैं हिन्दी का दुष्टन हूँ" लेख नहीं लिखा, और न लिख सकता है। न वे उद्दूँ वालों की तरह, जो भारतीय भाषाओं को अचूत समझते हैं, उद्दूँ शब्दों का प्रयोग करने से सकोच ही करते हैं। वे उद्दूँ कविताएँ आदि देवनागरी में छापते रहते हैं। वह उद्दूँ के विरोधी नहीं, केवल उसको द्वितीय राजभाषा बनाने का विरोध करते हैं जिसके कुछ कारण ऊपर लिये गये हैं। वे उद्दूँ की उन्नति चाहते हैं। उसे हिन्दी की एक शैली समझने के कारण वे उसका विरोध कर सकते हैं? उसमें फारसी के शब्द भी हो, इसके भी हम विरोधी नहीं। हम इसे शैली की विशेषता मानते हैं। किन्तु दाल में निमक डाला जाता है, निमक में दाल नहीं डाली जाती। उद्दूँ में फारसी रूपी निमक नहीं डाला जा सकता है बल्कि फारसी रूपी निमक में उद्दूँ की दाल डाली जाती है। इसी कारण वह हमें नहीं रुचती। सरल उद्दूँ का हम सदा स्वागत करते हैं और करते रहेंगे। किन्तु मध्य-पूर्व की सस्कृति से ओत-प्रोत एवं अनावश्यक उसे फारसी तथा अरबी के निकट लाने वाली 'तथाकथित' भारतीय मुसलमानों की "छोटी फारसी" हमें नहीं पसन्द है, वह कभी भारतीय जनता में लोकप्रिय नहीं हो सकती।

—खुर्दगंज, लखनऊ

महर्षि दयानन्द सरस्वती और उनका पत्र-साहित्य

—डॉ. कमल पुंजाणी

महर्षि दयानन्द सरस्वती आधुनिक युग की महान् विभूति थे। जगदगुरु गुरकराचार्य के पश्चात् भारत ने ऐसे प्रब्लर तेजपुज को प्राप्त कर वैदिक धर्म और आर्य संस्कृति की रक्षा की। स्वामी जी ने समाज में छुस आई कुरीतियाँ और अध्य-परम्पराओं पर कठोर प्रहार किया तथा वैदिक संस्कृति पर आधारित जीवन की स्थापना की।

भारतीय पुनर्जागरण के आनंदोलन में धार्मिक-सामाजिक क्षेत्रों का नेतृत्व धारण करने के कारण महर्षि दयानन्द सरस्वती को देश के विशाल जन-समुदाय के सम्पर्क में आना पड़ा। विभिन्न जाहरी में आर्य-समाज की स्थापना के बाद उनका लोक-सम्पर्क और अधिक बढ़ गया था। परिणामस्वरूप आर्य-समाज के मत्रियों, पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादकों, देशी राजाओं तथा प्रजा के विभिन्न वर्गों से उनका पत्र-व्यवहार भी उत्तरोत्तर बढ़ता गया। इसी विस्तृत पत्र-व्यवहार का एक अंश, उनके देहावसान के पश्चात्, महात्मा मुंशोराम के सम्पादकत्व में “ऋषि दयानन्द का पत्र-व्यवहार, भाग-१” शीर्षक से प्रकाशित हुआ।

“ऋषि दयानन्द का पत्र-व्यवहार, भाग-१” के प्रकाशन के बाद ‘ऋषि के लिखे एक-एक पत्र-चब्द का सुरक्षित रखना आवश्यक है’ इस शुभ संकल्प के साथ १०० भगवद्गत जी ने अधक् परिश्रम से खोज-खोज कर स्वामी जी के पत्रों का एक स्वतन्त्र संकलन “ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, भाग-१” शीर्षक से प्रकाशित कराया।

१०० भगवद्गत द्वारा सम्पादित “ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन” के चारों भागों के प्रकाशन के पश्चात् गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी से १०० चमूपति के सम्पादकत्व में “ऋषि दयानन्द का पत्र-व्यवहार, भाग-२” शीर्षक पत्र-संग्रह प्रकाशित हुआ।

रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित बृहद् ग्रन्थ में स्वामी जी के सन् १९५५ तक प्रकाशित प्रायः सभी पत्र संकलित हैं। इसमें स्व० महात्मा मुंशीराम तथा पं० चमूपति द्वारा सम्पादित क्रमण: “ऋषि दयानन्द का पत्र-व्यवहार, भाग १ और २” के पत्र भी समाविष्ट हैं। इसमें पत्रों के साथ पाद-टिप्पणियों में सन्दर्भ भी दिये गये हैं। इस ग्रन्थ की भूमिका तथा प्रकाशकीय वक्तव्य में स्वामी जी के पत्र-व्यवहार पर विस्तार से प्रकाश ढाला गया है। साथ ही जिनके नाम पत्र भेजे गये हैं, उनकी सूची भी दी गई है। इसमें स्वामी जी के जीवन-चरित्र में दी गई तिथियों तथा घटनाओं को पत्रों में निर्दिष्ट तिथियों और घटनाओं के परिप्रेक्ष में देखने-परखने का प्रयास भी किया गया है। इसके अतिरिक्त स्वामी जी के ग्रन्थों के लेखको—पं० भीमसेन, पं० ज्वालादत्त आदि के विषय में स्वामी जी की सम्मतियाँ भी उसमें प्रकाशित हैं। इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ स्वामी जी के विशद् व्यक्तित्व का प्रकाशस्तम्भ है।

स्वामी जी के ग्रन्थों को पढ़कर उनकी विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता, वेदनिष्ठा, त्याग, तपस्या आदि का विशद् परिचय मिल जाता है, किन्तु उनके चरित्र के कुछ पहलू ऐसे भी हैं जिन्हे हम उनके पत्रों के द्वारा ही जान सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसे ही पहलुओं पर प्रकाश ढाला जा रहा है—

(१) निर्भीकता और स्पष्टवादिता—

निर्भीकता और स्पष्टवादिता स्वामी जी के स्वभाव की महत्वपूर्ण विशेषताएँ थीं। सच्ची बात कहने में वे किसी से नहीं डरते थे। लाला कालीचरणदास द्वारा आर्यसमाज के एक अख्यातार में नाटक का विषय छापने की बात को अनुचित ठहराते हुए, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा था—

“लाला कालीचरणदास जी, आनन्दित रहो।

विदित हो कि तुम आर्य समाज के पत्र में नाटक का विषय मत छापो। यह अनुचित बात है। यह आर्यसमाज है, भड़आसमाज नहीं।”

(ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन (१९५५) पृ० ७८)

(२) व्यवहारकुशलता—

स्वामी जी के ग्रन्थों को पढ़ने से यही जाना जाता है वे वेद-ग्रास्त्रों के उद्भट विद्वान्, त्यागी, तपस्वी और निरोह सन्यासी थे। परन्तु जब हम उनके पत्र पढ़ते हैं तो यह भी जात होता है कि वे एक कुशल व्यवस्थापक और प्रबन्धक भी थे। पाई-याई पं० उनका ध्यान रहता था। हिसाब-किताब सम्बन्धी रसीदे लेने, प्राप्तिकर्ता से नियमानुसार हस्ताक्षर कराने, अच्छे-बुरे कर्मचारी को

परब्रह्मने आदि की भी उन्हें खूब जानकारी थी। यथा—

“स्वामी ईश्वरानन्द जी, आनन्दित रहो।

(१) सब यन्त्रालय के पदार्थ और नौकरों पर हृष्टि रखना कि नियमानुसार सब काम होते हैं या नहीं, (२) जब कभी जिसका भी व्यतिक्रम देवें तो जो शिक्षा देने से सुधर सकता हो उसे वही सुधार देना, न माने तो हमको लिखना।”

(ऋषि दयानन्द का पत्र-व्यवहार, भाग १; पृ० १३-१४)

इससे स्पष्ट है कि स्वामी जी में व्यावहारिक बुद्धि भी अच्छी थी।

(३) स्वदेश-भक्ति—

स्वामी जी सच्चे देशभक्त थे। देश के गौरव और ज्ञान की उनको सतत् चिन्ता रहा करती थी। उन्होंने अपने शिष्य प्रसिद्ध कातिकारी विद्वान् श्यामजी कृष्ण वर्मा को विदेश भेजते समय जो सूचनाये दी थी, उनमें उनकी स्वदेश-भक्ति स्पष्टरूपेण झलकती है। देखिए—

“.....अब आपको उचित है कि जब वही जावें, जो आपने अध्ययन किया है, उसी में वार्तालाप करे और कह देवें कि मैं कुल वेद-शास्त्र नहीं पढ़ा, किन्तु मैं तो आश्रवित् देश का छोटा विद्यार्थी हूँ और कोई बात या काम ऐसा न हो कि जिससे अपने देश का हास होवे.....”

(ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, पृ० ८२)

यह पत्र स्वामी जी के स्वदेश-प्रेम का ज्वलन्त प्रमाण है।

(४) हिन्दी के प्रति अनुराग और उसके प्रचार में योगदान—

स्वामी जी की मातृभाषा गुजराती थी। संस्कृत पर उनका असाधारण प्रभुत्व था। परन्तु हिन्दी के प्रति उनके मन में असीम अनुराग था। हिन्दी की सम्पर्कशक्ति देखकर उन्होंने उसे ‘आयंभाषा’ की गरिमायुक्त संज्ञा प्रदान की थी। लाहौर के आर्यसमाज के मन्त्री बाई जबाहरासिंह ने उनको दूटी-फूटी हिन्दी में एक सम्बोचित लिखी थी, जिसके उत्तर में स्वामी जी ने उनको प्रोत्साहित करते हुए लिखा था—

“...जो तुमने इतनी बड़ी चिट्ठी आयंभाषा में लिखी, यही हमने तुम्हारी शुद्धि जानी।”

(ऋषि दयानन्द का पत्र-व्यवहार, भाग १, पृ० १२५)

स्वामी जी अपना बहुत-सा पत्र-व्यवहार दूसरों को बोलकर लिखवाते या लिखने को कह दिया करते थे। अत उनके पत्रों में भाषायीय अशुद्धियाँ प्राप्त:

लेखक के प्रमाद का परिणाम ही हैं। यद्यपि गुजराती और संस्कृत पर उनकी जितनी पकड़ थी, उनकी हिन्दी पर शायद नहीं थी, तथापि हिन्दी के प्रति अनुरक्षित के कारण वे अपने विचार उसमें अच्छी तरह व्यक्त कर सकते थे। उन्होंने हिन्दी को राजभाषा का स्थान दिलाने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त हृष्टर कमीशन के पास, हिन्दी के पक्ष में, स्थान-स्थान से स्मरणपत्र भिजवाये थे। इस सम्बन्ध में लाला कालीचरण को प्रेयित १४ अगस्त १९६८ के पत्र का निम्नांकित अंश—

“.....आप लोग भी जहाँ तक हो सके, गोरक्षार्थ और आर्यभाषा के राजकार्य में प्रवृत्त होने के अर्थ शीघ्र प्रयत्न कीजिए।”

(ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, पृ० ३५४)

इससे स्पष्ट है कि हिन्दी की उन्नति और प्रचार-प्रसार में स्वामी जी का योगदान महत्वपूर्ण है। इस सन्दर्भ में डॉ विजयेन्द्र स्नातक के इस कथन का स्मरण हो जाता है कि—“हिन्दी भाषा के प्रचार और प्रसार में आर्यसमाज का योगदान सर्वविदित है। आर्यसमाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आज से एक शताब्दी पूर्व अपना लेखन हिन्दीभाषा में प्रारम्भ किया था। स्वामी जी हिन्दीभाषा को आर्यभाषा कहकर पुकारते थे।” (द्विवेदीयुगीन काव्य पर आर्यसमाज का प्रभाव (१९७३), भूमिका)

(५) वृष्टिकोण—

स्वामी जी को वेदों के प्रति अपार आस्था थी। वे भारतीय समाज की समस्त विकृतियों को हटाकर उसे वैदिक धर्म के अनुसार ढालना चाहते थे। “वेदों की ओर लौट चलो” उनका मुख्य नारा था। ‘भारतमित्र’ के सम्पादक के पास भेजे गये पत्र में उन्होंने वेद-विषयक अपनी सम्मति प्रकट करते हुए लिखा था—

“.....मैं ईश्वर नहीं, किन्तु ईश्वर का उपासक हूँ। वेद मनुष्यों के हृतार्थ परमात्मा ने प्रकाशित किये हैं। इस अभिप्राय से कि यहाँ तक मनुष्य की विद्या और बुद्धि पूर्ण सकेगी और इतने तक कार्य मनुष्य कर सकेगे। इसलिए यावत् मेरी बुद्धि और विद्या है, ताकि निष्पक्षपात होकर वेदों का अर्थ प्रकाशित करता हूँ।” (ऋषि दयानन्द का पत्र-व्यवहार, भाग-१, पृ० ६८)

इससे स्पष्ट है कि स्वामी जी की विचारधारा वैदिक धर्म के अनुकूल थी। वे वैदिक संस्कृत के अनुसार भारतीय समाज का निर्माण करना चाहते थे।

११११२ बार, टी. जाडेजा एस्टेट
गुरुद्वारा के निकट
जामनगर (गुजरात) ३६१००९

सिन्धु-संस्कृति के निर्माता

डॉ० विनोदचन्द्र सिन्हा

भारतीय इतिहास पर पूर्ण प्रकाश पढ़ने से हजारों वर्ष पहले मानव सभ्य जीवन और व्यवस्थित समाज के लिये प्रयाग कर रहा था। पाषाणध्युग में उसकी चेष्टाये सफल हुयी थी किन्तु जब उसे धातु-जान हुआ तो उसके जीवन में क्रान्ति उत्पन्न हो गयी। अब पश्चर से आगे बढ़कर उसने धातु का प्रयोग भी आरम्भ कर दिया। ताम्रध्युग की मुख्य धातु सोना और ताँबा थी। ताँबे के साथ-साथ बहुधा इन भी प्राप्त होता था। इन दोनों धातुओं को मिलाकर काँसा बनाया गया। यह ताँबे की अपेक्षा अधिक कठोर था। ताम्र-न्युगीन लोगों ने धातु को गलाना सीख लिया था। पश्चर, मिट्टी और लकड़ी के साथे में तरल धातु को भरकर हथियार तथा अन्य उपकरण बनाये जाने लगे थे।

भारतीय इतिहास में सभ्य और समृद्ध जीवन का प्रथम उदाहरण सिन्धु-धाटी में मिला। यह एक नवीन खोज थी जिसके लिये प्रथम श्रेय रायबहादुर दयाराम साहनी और विद्वान् राखेलदास बनर्जी को दिया जा सकता है। बाद में मर जॉन मार्झल की अध्यक्षता में इस क्षेत्र में विधिवत् उत्खनन किया गया जिसके फलस्वरूप कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुयी। विद्वान् पानिकर¹ के अनुसार यह सस्कृत आर्यों से पहले की है। अधिकांश विद्वान् भी ऐसा ही मानते हैं, किन्तु कुछ विद्वान् इसे आर्यों की ही देन मानते हैं। निर्णायक उत्तर के लिये अभी और अनुसधान की आवश्यकता है। इस सस्कृति का समय लगभग 3000 ईसा पूर्व माना गया है। यह बात महत्वपूर्ण है कि इस नई खोज ने भारतीय सस्कृति को सासार की अन्य प्राचीनतम संस्कृतियों के बराबर में खड़ा कर दिया है।

यह प्रश्न सहज रूप से ही उठता है कि इस सस्कृति के निर्माता कौन थे? इस सम्बन्ध में निम्न चार मतों का प्रतिपादन हुआ है—

- क. सिन्धु-संस्कृति के निर्माता आर्य थे।
- ख. सिन्धु-सस्कृति के निर्माता सुमेरियन थे।

1. A Survey of Indian History, pp 3-4

ग सिन्धु-संस्कृति के निर्माता द्रविण थे ।

घ. सिन्धु-संस्कृति के निर्माण में अनेक जातियों का योग था ।

मोहनजोदड़ी और हड्डपा के भग्नावशेषों में भनुध्यों के अस्थि-पिंजर भी मिले हैं । इनके अध्ययन से प्रधाट होता है कि इस संस्कृति के निर्माण में अनेक जातियों का योग था । डॉ गुहा के अनुसार, इन नगरों से प्राप्त अस्थि-पिंजर चार भागों में विभक्त किये जा सकते हैं—प्रोटो आस्ट्रेलायड, भूमध्यसागरीय, अल्पाइन और भेगोलियन । सबसे व्यधिक संख्या भूमध्यसागरीय नस्ल की थी । अतः परिणाम निकाला जाता है कि इसी नस्ल के लोगों ने सिन्धु-संस्कृति का निर्माण किया । भारत के द्रविण भी इनी नस्ल की एक शाखा थे । आज तो द्रविण लोग केवल दक्षिण भारत में ही निवास करते हैं, किन्तु शायद पहले उत्तरी भारत में भी ये स्त्रोंग बसे हुए थे । बिलोचिस्तान के एक भाग में आज भी 'ब्राह्मी' भाषा बोली जाती है । यह भाषा द्रविण वंश की है । इससे द्रविणों की सत्ता दक्षिण से बाहर भी सूचित होती है । हो सकता है कि किसी आकमण के कारण ही द्रविणों को उत्तरी भारत से भाग कर दक्षिणी भारत जाना पड़ा हो । कुछ विद्वानों का कहना है कि बिलोचिस्तान में ब्राह्मी भाषा द्रविणों के पश्चिमी देशों के साथ केवल व्यापार को सूचित करती है । इस प्रसंग में एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि अस्थियों और प्रतिमा-मस्तकों के वैज्ञानिक अध्ययन के परिणाम पर बहुत सतर्कता से विचार करना चाहिये । कलाकार कोई वैज्ञानिक नहीं थे और इन मस्तकों की सूच्या भी इतनी कम है कि इससे अकाद्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है ।

आयों का पक्ष अभी तक संबल नहीं बन पाया है । एक बड़ा अन्तर तो दोनों में यह है कि सिन्धु-संस्कृति नागरीय है और वैदिक संस्कृति ग्रामीण है । स्वामी शकरानन्द जैसे विद्वानों ने बड़ी योग्यता के साथ आयों के पक्ष का प्रतिपादन किया है । लेकिन यदि यह मान लिया जाय कि सिन्धु संस्कृति का निर्माण आयों ने किया है, तो ऋग्वेद की तिथि सुदूर अतीत में हट जाती है । वर्तमान जानकारी जहाँ तक है, उसके सदर्श में इसे स्वीकार करना कठिन प्रतीत होता है ।

कुछ विद्वान् सुमेरियनों तथा सिन्धु-संस्कृति की समानताओं प्रस्तुत करते हैं तथा यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस संस्कृति के निर्माता सुमेरियन ही थे । किन्तु समानताओं के आधार पर दूसरी बात भी कही जा सकती है । अगर यह कहा जाये कि सुमेरियन संस्कृति का निर्माण सैन्धवयुगियों ने किया तो उपर्युक्त तरफ के आधार पर इसे भी मानना चाहिये । ये युक्तियाँ फिर भी दुर्बल ही हैं ।

जहाँ तक सिन्धु-संस्कृति मे अनेक जातियों के योग का प्रश्न है, उससे हटा
नहीं जा सकता। यह क्षेत्र प्राचीन काल मे अनेक संस्कृतियों का मिलन-स्थल
रहा है। प्राचीन सम्बद्ध-संसार मे लेन-देन दोनों प्रचलित रहे। अगर अतीत काल
में भारत ने संसार को कुछ दिया है तो निश्चय के साथ लिया भी है। हाँ,
हमारी यह प्रतिभा अवश्य रही है कि वाहाँ प्रभावों को लेकर हमने उनका
भारतीयकरण कर दिया है। डॉ० सकालिया^२ ने लिखा है कि अगर हमें सिन्धु
सम्बद्धता के नाम के कारणों का ठीक पता नहीं है तो हम इसकी उत्पत्ति के
सम्बद्ध मे भी नहीं जानते हैं।

आचार्य एव अध्यक्ष,
प्राचीन भारतीय संस्कृति, इतिहास तथा
पुरातत्त्व विभाग।
गुरुकुल कांचड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वैदिक युग में प्रजातंत्र

डॉ० जबरदस्त ह सेन्टर

वैदिक युग में राजतंत्र होते हुए भी राजा का स्वरूप प्रजातांत्रिक था। राजा की शक्ति अपनी न होकर प्रजा की शक्ति थी। प्रजा की कृपा पर राजा का अस्तित्व दिखाई देता था। प्रजा की कृपा उसके कार्यों, त्याग, देश-सेवा, वीरता एवं देश-भक्ति पर निर्भर रहती थी। राजा का चेयन प्रजा खूब परख कर करती थी। उसको पुरोहित खूब उपदेश देता था। उसको अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान कराता था। उससे प्रजा के प्रति एवं राष्ट्र के प्रति बफादार रहने की प्रतिज्ञाएँ करवाता था। इससे भली-भांति स्पष्ट हो जाता है कि राजा को राज्य प्रजा सौपती थी। राज्य सौपते समय उसको कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाता था। प्रजा भी राज्य को एक योग्य राजा के हाथों में तभी सौपती थी, जब वह राजा को अच्छी तरह परख लेती थी। नीचे लिखे उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि यदि वशानुक्रम राजा बनता होता तो उसे प्रजा से राज्य मांगने की क्या आवश्यकता थी? भले ही परमपरा रही हो कि राजा का पुत्र यदि इस योग्य पाया गया हो, तो उसे प्रजा ने राजा चुन लिया हो। राजा एवं प्रजा में राष्ट्र-हित के लिए काफी निकटता एवं पारस्परिक विश्वास था।

‘राजा राज्यस्था से बाहर नहीं, अपितु वह भी एक अग के रूप में है’— यह एक भारत का प्राचीन विश्वास है। जब राजा का अभियेक होता था तो वह निम्न मन्त्र पढ़ता था—

पृष्ठोम् राष्ट्रमुदरमंसो, प्रोवाश्च ध्रोणो ।
ऊरु, अरत्नी जानुनी, विशोर्मेणानिसर्वंतः ॥
(यजुर्वेद—२०।८)

अर्थात् राजा कोई पृथक् वस्तु नहीं है। राजा का जरीर राष्ट्र और प्रजाओं से मिलकर बना है। राष्ट्र उसकी पृष्ठवंश है तथा नाना प्रकार की प्रजाये उसके नाना अंग हैं।

इससे स्पष्ट है कि राजा को यह आभास कराया जाता था कि राष्ट्र और प्रजा उसका शरीर है। यदि उनको कोई कष्ट या दुख होगा तो राजा यह न समझे कि कष्ट किसी और को हो रहा है—अपितु यह कष्ट राजा को ही हो रहा है। दोनों—प्रजा एवं राजा के स्वार्थ समान ही थे। प्रजा एवं राजा का सम्बन्ध दामन—चौली जैसा था। राजा वह भी समझता था कि वह प्रजा का वैतनिक भूत्य है और उसका कर्तव्य है कि उस वृत्ति के बदले में प्रजा को सर्वप्रकार से रक्षा करे। अभिषेक के समय राजा निम्न वाक्य कहता था—“योगक्षेमं व आदाय अहं भूयासमुत्तमः—(श्लोक १०।१६६।५), अर्थात् हे प्रजा-जनो ! तुम्हारा अब खाता हूँ, मैं अपने काम को श्रेष्ठता से निभा सकूँ। राजा का योगक्षेम प्रजा के हाथों में समझा जाता था, न कि प्रजा का योगक्षेम राजा के हाथों में।

राज्य के व्यक्तियों में से योग्य पुरुष को ही राजा चुना जाता था। राजा को राजकुल में उत्पन्न होने की कोई विशेष शर्त नहीं थी—यह उल्लेख हमें वेद के राज-प्रकरण में कई स्थान पर मिलते हैं। कालचक के साथ-साथ राजकुल के योग्य व्यक्ति को राजा चुनने की परम्परा प्रचलित हो गई। राजा अपनी इच्छा-नुमार उत्तराधिकारी नहीं चुन सकता था। प्रजा जिसे राजा बनाने की अनुमति देती थी, वही युवराज बन सकता था। राज्य के श्रेष्ठ पुरुष को ही राजा चुना जाता था।

ऋषम् मा समामानां सप्तनामां विष्वसहिम् ।

हन्तार शबूनां कृवि विराजं गोपति गवाम् ॥

(श्लोक १०।१६६)

जो राजा बनना चाहना था, वह पुरोहित से कहता था—“मैं समान देशीय पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ हूँ। विरोधियों के आक्रमण को सहने वाला हूँ तथा अन्तुओं को मार भगाने वाला हूँ। इसलिये मुझे आप राजा बनाकर मेरा अभिषेक कीजिए। इस उदाहरण से राजकुल में उत्पन्न व्यक्ति को राजा बनाने की बात की पुष्टि नहीं होती है। जो राज्य-भार उठाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति होता था, उसे राजा चुनने की आज्ञा वेद भगवान् देते हैं—

इमं देवा असपत्नं सुवश्व महते क्षत्रिय, महते ज्येष्ठ्याय,
महते जान राज्याय इन्द्रसेन्द्रियाय ॥

इममम्भुव्य पुत्रं अमृत्यं पुत्रं अस्यै विश एव बोध्मी राजा ॥

(यजु० दी०४०)

अर्थात् “जिसका विरोधी कोई न हो और सारा राष्ट्र जिसके पक्ष में हो— ऐसे पुरुष को बड़े भारी विस्तृत राज्य की अभिवृद्धि, कीर्ति और ऐश्वर्य बढ़ाने के लिये चुनो और सब लोग कहे कि अमुक पिता और अमुक माता के पुत्र को हम राजा बनाते हैं।” अत उक्त मुण्डो से सम्पन्न व्यक्ति को ही राजा चुना जाता था। वेद भगवान् प्रजा को कहने का उपदेश देते हैं और प्रजा राजा को सम्बोधित कर कहती है—

नमो मात्रे पृथिव्ये नमो मात्रे पृथिव्ये इयम्ते राह्यन्ता सिपमानो द्विवोअसि धरण् ।
कृष्णं स्वा खेनाय त्वा रथ्यं स्वा पोषायत्वा ॥

(यजु० ८।२२)

अर्थात् प्रजा के प्रधान पुरुष कहते हैं—“हे मातृभूमि तुझे नमस्कार है। हे मेरी प्यारी मातृभूमि तुझे नमस्कार है। हे राजन् तू हमारी मातृभूमि का नियन्ता और धारण करने वाला है। तुम्हारो हम इसको कृषि को प्रफुलित करने के लिए, समस्त देशवासियों के कल्याण के लिए, उनकी सम्पत्ति की रक्षा के लिए और इनके पालन-पोषण के लिए राजा बनाते हैं।”

वाऽत्र हत्याय शब्दे पृथनावाहायच ।

इन्द्र त्वा बत्यामसि ॥

(यजु० १८।६८)

अर्थात् “शक्तुओं से रक्षा के लिए तुझे राजा बनाते हैं।” इससे स्पष्ट है कि जो पुरुष देशरक्षा, प्रजा का हित-चितन, राष्ट्र की आर्थिक स्थिति मुद्दे करने में सक्षम होता था, वही व्यक्ति राजा चुना जाता था। इसके बाद राजा प्रजा से बड़े ही विनम्र शब्दों में राज्य माँगता था—

सूर्यंत्वंसस्य राष्ट्रदा राष्ट्रमेदत्त स्वाहा ।

सूर्यंत्वंसस्य राष्ट्रदा राष्ट्रममुठमेदत्त ।

मान्वारथं राष्ट्रदा राष्ट्रमेदत्त स्वाहा ।

द्वजक्षितस्य राष्ट्रदा राष्ट्रमेदत्त ।

बाशास्य राष्ट्रदा राष्ट्रमेदत्त ।

शविष्ठास्य राष्ट्रदा राष्ट्रमेदत्त ।

शकरीस्य राष्ट्रदा राष्ट्रमेदत्त ।

जनभूतस्य राष्ट्रदा राष्ट्रमेदत्त ।

विश्वभूतस्य राष्ट्रदा राष्ट्रमेदत्त ।

मधुमतीर्घ्युमतीर्घि: पृथ्यन्ताम्भतिक्तः अक्रियाय बन्वाना ।

अनाष्टुः सीदत संहोजसीमहि अवः क्षत्रियाय दघती ॥

(यजु० १०।४)

अर्थात् “सूर्य के समान दीपि वाले विद्वान प्रजा-पुरुषो ! राष्ट्र को देना आपके अधिकार में है । आप मुझको राष्ट्र दीजिए । आप सारे मनुष्यों को आनन्द देने वाले हैं । आप गौ आदि पशुओं की रक्षा करने वाले हैं । आप बलशाली और प्रजा की रक्षा करने वाले हैं । आप समस्त जीवमात्र की रक्षा करने वाले हैं । आप स्वयमेव राज्य करने वाले हैं । आप मुझे राष्ट्र दीजिए ।” इसके बाद प्रजा को सबोधित करके राजा का उम्मीदवार पुन कहता है—“हे प्रजाओ ! आप वीर हैं । आप सबके प्रति माधुर्य प्रदर्शित करने वाली हों । आप मिलकर यह विभाल राष्ट्र मुझे दीजिए और शशुओं से निर्भय होकर अपने बल को बढ़ाते हुए राष्ट्र में निवास कीजिए ।” इससे स्पष्ट है कि राज्य राजा का न होकर प्रजा का ही समझा जाता था । प्रजा राजा को राज्य देते समय निम्न शब्दों का प्रयोग करके कहती है—

सोमं राजा नमवसेनिमन्द्वारभामहे । (यजु० ८।२६)

अर्थात् “प्रजाओं के प्रति शाति से व्यवहार करने वाले और शशुओं के प्रति अग्नि के समान कोघ दिखाने वाले वीर पुरुष को हम राष्ट्र की रक्षा के लिए राजा बनाते हैं ।” आगे पुरोहित राजा को निम्न आशीर्वाद रूप में सदेश देता है—

आत्मागन् राष्ट्रं सहवचंसो विहि प्रांड् विशांपतिरेकरादृत्वं विराज ।

सर्वास्त्वा राजनं प्रदिशो हवपन्तु उपसद्योनमस्यौ भवेह ॥

(अथर्व० ३।४।१)

अर्थात् “हे राजन ! तुझे राष्ट्र दिया जाता है । तू प्रजा का धालक होकर सिहासन पर विराजमान हो । सारी दिशाएँ अथवा सर्वदिशाओं के पुरुष तुझे राजा स्वीकार करे और तेरे पास आकर तुमको नमस्कार करें । सारी दिशाओं, प्रदिशाओं की प्रजाये तुझे राजा चुनें । राष्ट्र का तू मुखिया है । राष्ट्र के शिखर पर विराजमान होकर हम सबको धन-धान्य से अलकृत कर ।”

एक अन्य स्थान पर पुरोहित राजा को आशीर्वाद के शब्दों से आशीर्वाद देते हुए कहता है—युं चन्तु त्वा मस्तौ विश्वेदेवः । (यजु० ८।८), अर्थात् “हे राजन सकल विद्याओं के जानने वाले विद्वान पुरुष तुझे राजपद पर नियुक्त करे ।”

द्वयन्तु त्वा प्रतिजनः प्रतिमित्राः अवृचत ।

इन्द्राग्नी विश्वेदेवास्ते विशिष्टेमपदी धरन् ॥

अथर्व० ३।३।५

अर्थात् “हे राजन ! प्रजा के सभी पुरुष और तुम्हारे सारे मित्र तुम्हें राजा स्वीकार करें । मैं एवं अग्नि आदि दिव्य पदार्थ तेरी प्रजा का कल्याण करते रहें ।” इससे स्पष्ट है कि राजा का चयन प्रजा करती थी और जब प्रजा राजा तुन लेती थी तो पुरोहित पुनः कहता था—

स राजा राज्य मनुमन्यतान् ।

इदं विशस्त्वा सर्वा बाच्छन्तु ॥

अर्थार्थ ४।२।८

अर्थात् “हे राजन ! हम आपको यह राज्य देना मान नुके हैं । अत आप इसे स्वीकार कीजिए । व्याघ्र के समान इस सिहासन पर विराजमान हूजिए और सारी दिक्षाओं पर विजय पाइये, जिससे प्रजाये तुमको राज्य के लिए परान्द करे ।” राजा की नियुक्ति प्रजा की ओर से होती थी । व्यास भगवान कहते हैं कि— राष्ट्रस्येत लकृत्यतं राज एवाभिधेयमम् । अर्थात् ‘यह राष्ट्र का काम है कि वह राजा नियुक्त करके उसका राज्याभिधेय करे ।’ पुरोहित राजा को उपदेश देता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि राजा की नियुक्ति प्रजा की सम्मति से होती थी ।

आत्मा हृष्ट मन्तरैषि ध्रुवात्तिष्ठा विचाचलि ।

विशस्त्वा सर्वा बाच्छन्तु मात्वद्राष्टु मधिप्रशत् ॥

ऋग्वेद १०।१७।३।१

अर्थात् “हे राजन ! तू अविचिलित होकर सिहासन पर विराजमान हो । तू अपने आपको ऐसा बना कि सारी प्रजाये तुझे पसद करे तथा कोई ऐसा अवसर न आये कि तेरा राष्ट्र तेरे हाथ से निकल जाये ।”

रचं नो धेहि ब्राह्मणेषु रचं राजसु नस्कृधि ।

रचं विश्येषु शूद्रेषु मयि धेहि रचा रुचम् ॥

यजु० १८।४८

अर्थात् पुरोहित कहता है कि “हे राजन् । हमारी प्रजा मेरहने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों की उन्नति करना तुम्हारा काम है ।” राजा भी प्रजा के प्रति उत्तरदायी होता था । इस प्रकार का उद्दरण भी वेदों में मिलता है ।

सोम राजनिवशवास्त्वं प्रजा उपावरोह ।

विशवास्त्वां प्रजा उपावरोहन्तु ॥

यजु० ६।२६

अर्थात् “हे सौम्य गुण वाले राजन ! तू सब प्रजाओं पर शासन कर और

सब प्रजायें तुम पर शासन करे ।” इस प्रमाण से अधिक और कौन-सा प्रमाण मिल सकता है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि राजा ही केवल प्रजा पर शासन नहीं करता, किन्तु प्रजा भी राजा पर अकुश रखती है। राज्याधिषेक के समय भी प्रतिज्ञा कराई जाती थी कि राजा प्रजा की सम्मति से राज-संचालन करेगा। वह स्वेच्छाचारी होकर राज्य-कार्य नहीं करेगा। एक स्थान पर पुरोहित राजा को उपदेश देता है—

त्वन्देव सोम इनदस्य प्रियम्बादो दीहि आत्मसत्त्वा ।

त्वन्देव सोम विश्वेषां देवानां प्रियंपादो दीहि ॥

(यजु० ८।५०)

अर्थात् “हे राजन् ! तू हम लोगों का निन्दित है। तू वही राज्य-कार्य कर, जो धार्मिक विद्वान् पुरुषों को प्रिय हो ।” प्रजातन्त्र का यह भी उदाहरण मिलता है— राजा स्वेच्छाचारी न होकर प्रजा के प्रति उत्तरदायी होता था। वह शपथ लेकर प्रजा को आश्वासन देता था—‘अब्दं य बोमिनहृपामि उम्भे आल्मी इवव्यया ।’ क्रृष्ण० १०/१६६/३। पुरोहित राजा को जल देता था और जल देखकर राजा कहता था—“मैं इस राष्ट्र को समृद्ध बनाऊँगा। इसीलिए मैं इस जल को देखता हूँ ।” आज भी गयाजल लेकर शपथ-प्रहृण करने की प्रथा भारत में प्रचलित है। एक स्थान पर राजा सभाओं को स्वीकार करता है और राजसभा के समक्ष प्रतिज्ञा करता है—

पृष्ठीमें राष्ट्रमुद्वरमंसो शोवामच थोणो ।

उडु अरत्नो जानुनीर्विशो मेऽगानि सर्वतः ॥

(यजु० २।०८)

अर्थात् “मेरी प्रजाओं । मैं तुम्हारे विचारों और तुम्हारी सभा को स्वीकार करता हूँ । अर्थात् तुम्हारी सभाये जो भी निश्चय लेंगी, उसे मैं सदा ही स्वीकार करने की प्रतिज्ञा करता हूँ ।”

इन तथ्यों से स्पष्ट है कि वैदिक युग का राजा निरकुश नहीं था। उसका स्वरूप प्रजातात्त्विक था, वह प्रजा के प्रति उत्तरदायी था। आज के प्रजातात्त्विक भारत के प्रधानमंत्री से अधिक, वेद-मंत्रों में राजा को प्रजापालक के रूप में दर्शाया गया है। वह प्रजा का सेवक है, राज्य की रक्षा करना उसका धर्म है। प्रजा का सुख राजा का सुख है और प्रजा का दुख राजा का दुख है—यही भावना हमें वैदिक युग के राजा के प्रजातात्त्विक स्वरूप में देखने को मिलती है। किन्तु राजा के चयन का यह अधिकार वेद, प्रजा के उन्हीं व्यक्तियों के हाथों में देता है जो राष्ट्र के हिताहित को पूर्णतया जानते हैं तथा प्रलोभनों एवं दवाओं के वशीभूत न होकर स्वस्य निर्णय लेने में सक्षम हैं।

०

उपाध्याय,
प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग

परिसर परिक्रमा

११ अगस्त, १९६४ को आवणी तथा संस्कृत-दिवस के अवसर पर कुलपति महोदय द्वारा दिया गया भाषण

आवणीय आचार्य सत्यकाम जी, आचार्य रामप्रसाद जी, देवियो, सज्जनो, मेरे सहयोगियो एवं सहयोगियो !

आज इस अमृतवाटिका में आप लोगों के संस्कृत में भाषण सुनकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई। सचमुच मैं वही सब सुनने के लिये गुरुकुल में आया था कि गुरुकुल में संस्कृत में सम्भाषण होगे, आपसे संस्कृत में बातानाप होगा। गुरुकुल में स्वाध्याय और पठन-पाठन का माहौल होगा। मुझे खुशी है कि अब वह किसी हद तक गुरुकुल में उपलब्ध हो रहा है।

मैं अपने आपको गुरुकुल की दृष्टि कक्षा का विद्यार्थी मानता हूँ। नवम्बर १९७५ मे, मैं गुरुकुल में प्रविष्ट हुआ था। मेरी संस्कृत अभी इतनी अच्छी तो नहीं कि मैं पूर्व बक्ताओं को भाँति धाराप्रवाह संस्कृत में बोल सकूँ। इसीलिये आपके समक्ष संस्कृत में आरम्भ करने के पश्चात् संस्कृत की बेटी हिन्दी के माध्यम से अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ।

८ वर्ष तक भी मेरी संस्कृत मुद्रृढ़ नहीं हुई, इसका एक कारण मेरे गुरुजन भी है। यदि गुरुजन आपस में, अपने छातों से, अपने कॉलेज में, मेरे साथ संस्कृत में बात करते तो मेरी संस्कृत अब तक अवश्यमेव मुद्रृढ़ हो जाती। यदि मैं अपनी माँ की भाषा मुनकर हिन्दी बोलना सीख सकता हूँ, यदि मैं अपनी माँ की जुबान से पंजाबी बोलना सीख सकता हूँ, यदि मैं अपनी माँ की जुबान से लेहड़ी पश्तो बोलना सीख सकता हूँ, तो कोई कारण नहीं कि मैं आपकी जुबान से संस्कृत बोलना नहीं सीख सकता। मैं आप गुरुजनों को आह्वान करना हूँ कि आप मेरी माँ बने और मुझे और सभी संस्कृत से अनभिज्ञ लोगों को संस्कृत सिखायें। मैं आपसे शुद्ध संस्कृत में बात करना चाहता हूँ।

यदि सेण्ट जैवियर स्कूल में यह नियम हो सकता है कि, वे जाहे विद्यार्थी हों या अध्यापक, स्कूल समय में आपस में अंग्रेजी में ही बात करेंगे, जाहे वह अंग्रेजी

शुरू हो या अनुद, तो क्यों नहीं गुरुकुल में यह नियम बन सकता कि कम से कम कक्षाओं के समय में अध्यापक अपने छात्रों के साथ सस्कृत में वार्तालाय करें, चाहे शुरू-गुरु में वह सस्कृत अशुरू ही क्यों न हो। आइये, आज भावणी और सस्कृत-दिवस के शुभ अवसर पर हम इस प्रतिज्ञा में बध जायें कि हम सस्कृत की रक्खा करने हेतु अपने विद्यालय अथवा महाविद्यालय में आज से सदा सस्कृत में सम्मानण करें।

आज सस्कृत-दिवस है। सस्कृत-दिवस का अर्थ है—स्वाध्याय दिवस। मैं स्वाध्याय के तीन अर्थ लेता हूँ—

- (१) स्व—अध्ययन : स्व—अध्ययन का अर्थ है अपना अध्ययन करता। अपनी अच्छाईं-बुराइयों की निगरानी रखना।
- (२) सु—अध्ययन जो भी पढ़ो, अच्छा ही पढ़ो। हम जब विद्यार्थी थे तो हमें बड़े आदमियों की जीवनियाँ पढ़ने को प्रेरित किया जाता था। अत मैं आम छात्रों से भी यह कहना चाहौंगा कि जितना हो सके बड़े आदमियों की जीवनियाँ पढ़ो।
- (३) स्वयं—अध्ययन अपने अन्दर अपने आप पढ़ने की आदत ढालो। किसी को अपसे यह न कहना पड़े कि अब पढ़ो।

आज से आठ वर्ष पूर्व मैंने गुरुकुल-पत्रिका में एक लेख दिया था। प्रहृ लेख गुरुकुल-पत्रिका के 'द्यानन्द' अक फरवरी १९७६ म प्रकाशित हुआ था। इस लेख में ३० प्रश्नों की एक प्रश्नावली थी और गुरुकुल के ममी सम्बन्धित व्यक्तियों से अनुरोध किया गया था कि इस प्रश्नावली के परिप्रेक्ष्य में गुरुकुल का मूल्यांकन करें। मैं आज भी उस प्रश्नावली के उत्तरों की प्रतीक्षा मूँहे हूँ। आप लोगों की सेवा में यह प्रश्नावली पुन वितरित की गई है। आशा है आप लोगों के उत्तर मुझे अब शीघ्र ही मिलने आरम्भ हो जायेगे।

काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मनुष्य के दुश्मन हैं। इनके अतिरिक्त एक अन्य दुश्मन है—प्रमाद-आलस्य। प्रमाद के रहते हुये हम कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। अत हमें अपने प्रमाद पर नियन्त्रण रखना है। एक अन्य दुश्मन है—रागद्वेष। रागद्वेष के रहते हम उन्नति नहीं कर सकेंगे। पर-निन्दा के जाल में फँसे रहेंगे, परस्पर सहयोग न कर, पायेंगे। सहयोग में ही जीवित है उसमें बचित रहेंगे। आइये आज के दिन यह भी ब्रत ले कि हम अपने इन दुश्मनों के ऊपर अपना पूरा नियन्त्रण रखेंगे।

अन्त में, मुझे आप लोगों से जो बात कहनी है वह है स्कैल-कूद के बारे में। आजकल लॉस एंजिल्स में २३वें ओलम्पिक स्कैल चल रहे हैं। भारत की जन-संघर्षा विश्व की जनसंघर्षा का एक-सातवा भाग है किन्तु पदक-न्यालिका में भारत का कहीं नाम भी नहीं है। जबकि विश्व के अनेक देश, जो कि हमारे उत्तर-प्रदेश प्रान्त के बराबर हैं और कई तो इससे भी छोटे-छोटे हैं, वे कई-कई स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। आइये सोचें कि बात क्या है तथा आज यह भी प्रश्न ले कि १९८८ के लॉस एंजिल्स में जो हुआ सो हुआ, १९८८ के सियोल एंजियाड और १९८८ के ओलम्पिक में हम अपने देश को यथोचित मान दिलायेंगे।

ओ३म् शान्ति ।

प्रस्तुतकर्ता
गिरोशचन्द्र सुन्दरियाल
निजी सहायक, कुलपति
गुरुकूल कागड़ी विश्वविद्यालय,
हरिद्वार।

प्रौढ़ शिक्षा प्रशिक्षण शिविर

(१-८-५४ से ८-८-१९५४ तक)

—डॉ० त्रिलोक चन्द्र

प्रौढ़ शिक्षा प्रशिक्षण शिविर, जो १ अगस्त से ८ अगस्त तक चला, उसके प्रशिक्षक अत्यन्त उत्साहवश ३१ जूलाई ५४ की शाम से ही निवास के लिये निर्धारित स्टाफ रूम में पहुँचे। १ अगस्त को प्रातः सध्या व प्रातःराशि के उपरान्त ११ बजे उद्घाटन हेतु उत्सव में, जो वेद मन्दिर में सम्पन्न हुआ, पहुँचे। सर्वप्रथम ब्रह्मचारियों ने वैदिक मन्त्रों द्वारा यज्ञ का आयोजन किया, तत्पश्चात् समारोह में आमन्त्रित श्री मूलचन्द्र शास्त्री ने प्रौढ़ शिक्षा की उपयोगिता पर बोलते हुए ग्रामीण प्रौढ़ों को स्वच्छता आदि का प्रशिक्षण देने का अनुरोध किया। उसके बाद श्री बलदेवप्रसाद जी ने प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में अपना शिक्षण भाषण दिया। साथ ही श्री सत्यकाम जी ने अपने वक्तव्य में प्रौढ़ शिक्षा पर कुछ कहा। अन्त में समारोह के मुख्य अतिथि महोदय के उद्घाटन-भाषण से पूर्व डॉ० त्रिलोकचन्द्र ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के विकास का विवरण दिया। फिर मुख्य-अतिथि श्री कुलपति जी, गुरुकुल की गडी विश्वविद्यालय, ने अपने भाषण में सर्वप्रथम देश के महानुभावों का हवाला देते हुए प्रशिक्षकों को इस क्षेत्र में विशेष जिम्मेदारी निभाने का आदेश दिया। उसके बाद आचार्य रामप्रसाद जी ने वेद मन्त्रों द्वारा प्रशिक्षकों को शपथ दिनायी। फिर शान्ति पाठ के साथ समारोह समाप्त हुआ। अन्त में एक चाय पार्टी हुई, इसके बाद सायकाल तक डॉ० त्रिलोक चन्द्र ने प्रौढ़ शिक्षा की समस्याओं पर महत्वपूर्ण तथ्य प्रशिक्षकों को नोट कराये। सायकाल ८-३० से १० बजे तक सास्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सरीत दल कागड़ी ग्राम व ब्रह्मचारी सजीव कुमार वर्मन के प्रेरणदायी गीतों को मान्य कुलपति जी ने भी पधार कर सुना। १० बजे शान्ति पाठ के पश्चात् सभा समाप्त हुई।

२-८-१९५४

इसरे दिन भी सभी प्रशिक्षक प्रातः संध्याव्याम करने के उपरान्त, पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमानुसार १०.०० बजे प्राथंना भवन में पहुँचे। श्री राजेन्द्र जी अग्रवाल, प्रौढ़ आयुर्वेद विभाग ने स्वास्थ्य के सभी पहलुओं पर प्रकाश ढालते

हुए उसके लिए स्वच्छता, व्यायाम व सयम आदि को उपयोगी बताते हुए सादा जीवन का मूल-भंत्र तथा परिवार-नियोजन के अनेक खोजपूर्ण तथ्यों का प्रकाशन किया। १२३० बजे सभा विसर्जित की गई। पुनः ३ से ६ बजे तक गुरुकुल कानडी विश्वविद्यालय के उप-कुलपति श्री रामप्रसाद बेदालकार ने 'प्रौढ़ शिक्षा का राष्ट्र को योगदान' विषय पर व्याख्यान दिया। प्रशिक्षकों को त्याग-तपस्या से रहने पर बल दिया।

३-८-१८८४

तीसरे दिन पूर्व की भाँति प्रात कालीन कार्यों को करने के उपरान्त ६ बजे सभी प्रशिक्षक जमाल गाव का सर्वेक्षण करने के लिये चल पड़े। सभी ने पूरे गाव में प्रेमपूर्वक प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार किया तथा शिक्षा के सिद्धान्तों को साकार करते हुए सर्वेक्षण-पत्रों को पूर्ण किया। १२३० बजे तक सभी वापिस लौट आये। पुनः भोजन एवं विधाय के बाद २ बजे सभी सभाभवन में गये। वहाँ डॉ. विजय ज्ञकर जी ने उपयोगी तथ्यों पर विद्वानपूर्वक प्रशिक्षकों को भाषण दिया और अपने आँकड़े प्रस्तुत करते हुए सिद्ध किया कि हमारे देश में पूरी जीपती तो बेहद धनवान है व गरीब अत्यन्त गरीब होता चला गया। प्रौढ़ शिक्षा से उनमें चेतना भरनी होगी। ६ बजे सभा विसर्जित की गई।

४-८-१८८४

प्रशिक्षण शिविर के चौथे दिन प्रात ही सभी प्रशिक्षक प्रात कालीन अनुष्ठानों से निष्पट कर सात बजे स्कूटरों में बैठकर मातृ गाँव कानडी एवं गाजीबाला का सर्वेक्षण करने के लिये चल पड़े। कानडी गाँव में पहुंचते ही मेरी आखों के सामने गरीब भारत का नक्षा धूम गया व हृदय को ज़क़ज़ोरने लगा। फिर वहाँ के प्राईमरी स्कूल के बच्चों की कुट्टी कराकर जुलूस के रूप में शिक्षा से सम्बन्धित नारे लगाते हुए, रुक-रुक कर सभी आमीणों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम समझाते हुए, समूर्ण गाव का भ्रमण किया। उसी के मध्य एक ऐसे वृद्ध पुरुष के सभी ने दशन किये जिन्होंने कुलपति स्वामी श्रद्धानन्द जी के साथ काम करने का सुबवसर प्राप्त किया। उसके बाद पुस्तकालय, गुरुकुल कानडी विश्वविद्यालय में कार्यरत श्री गोविन्द जी व अन्य श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं ने ज्ञानदार चाय पार्टी का आयोजन किया। तत्पश्चात् स्कूटरों के द्वारा गाजीबाला की ओर सभी ने प्रस्थान किया। वहाँ पहुंचते ही 'भारत सोने की चिड़ियाँ हैं' यह नारा नितान्त असत्य प्रतीत होने की आशंका उत्पन्न होने लगी। आमीणों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम समझाते हुए जैसे ही आगे बढ़े, एक दूटी-सी चारपाई पर गरीब माँ-बाप की एक सन्तान को देखकर मेरा तो हृदय टीस से भर गया। सभी ने धूम-धूम कर गाँव में प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार किया। फिर सभी ११ बजे के लगभग गुरुकुल कानडी

वापस लौट आये। पुन ३ से ६ बजे शका समाधान कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों पर निष्कर्ष निकाले गये। ६ बजे सभा उत्साह के बातावरण में विसर्जित की गई।

५-८-८४—

प्रशिक्षण जिविर के थांचबे दिन भी गुरुकुल के पवित्र बातावरण को सराहते हुए, प्रशिक्षकगण ने सभी प्रात कालीन कृत्यों को उत्साहपूर्वक सम्पन्न किया। प्रातरात्र की परवाह न करते हुए पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रात। सात बजे थीन्होलीरो पर लाउडस्पीकर बॉय्स कर सर्वप्रथम वेदमन्त्रो से, मानो बातावरण को सात्त्विक बनाने हुए, गाव में प्रौढ शिक्षा के पैगाम को लेकर उत्साहसम्पन्न बातावरण में चल पडे। सर्वप्रथम जगजीतपुर गाव में जाकर शिक्षा की उपयोगिता को समझाते हुए, गुरुकुल कामडी विश्वविद्यालय द्वारा अपनाये, भारतीय सरकार के प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम को सरल भाषा में व प्रभाव-युक्त शंखो में, बाहनों को प्रत्येक छोराहे पर रोक कर, ग्रामीणजनों को समझाकर दूसरे गाव जमालपुर में प्रौढ शिक्षा के प्रति लोगों में दर्शनीय आस्था को उत्पन्न किया। उसके बाद सराय गाव में जाकर प्रशिक्षकों ने उच्च स्वर में उद्घोष किया कि ‘लो दुनियां बालो जगाने वाले आ गये। धर-धर में प्रौढ शिक्षा कैलाने वाले आ गये’। उसके बाद गाव रोहालकी में जाकर प्रशिक्षकों ने प्रौढ शिक्षा के महत्व पर प्रभावोत्पादक भाषण देकर राष्ट्रकवि मैथिलीकारण गुप्त की भाषा में कहा कि “सबसे प्रथम कर्तव्य है कि शिक्षा बढ़ाना, देश में शिक्षा बिना ही पड़े रहे। आज हम सब-नेत्रों में हैं।” गाव रोहालकी में नरेशकुमार आर्य ने गाव के प्रतिनिधि के रूप में प्रौढ शिक्षकों के सम्मान में शानदार चाय पार्टी का आयोजन किया।। सभी प्रशिक्षक ११ बजे गुरुकुल पहुंचे।

६-८-८४—

प्रशिक्षण जिविर के छठे दिन भी सभी प्रशिक्षक प्रात १० बजे कक्षा में पहुंचे। डॉ विजयेन्द्र शर्मा, प्रिसिपल एस० एम० जे० एन० डिग्री कालेज हरिद्वार का राष्ट्रीय एकता पर भाषण हुआ। उन्होंने विभिन्न धर्म, भाषा व संस्कृतियों के कारण भारत को घुन लगे राष्ट्र की सज्जा दी। सायकाल ३ से ६ बजे तक डॉ तिलोकचन्द्र ने प्रौढ शिक्षा के स्वरूप को बताते हुए समस्याओं का निस्तारण किया।

७-८-८४—

सातबे दिन भी प्रात कालीन दिनचर्या के उपरान्त सभी प्रशिक्षकों ने गांव टिबडी व केशवकुञ्ज में रिक्षा पर लाउडस्पीकर बॉय्स कर प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम को दोनों गाव घूम-घूम कर ग्रामीणजनों को समझाया। ग्रामवासियों में प्रौढ शिक्षा के प्रति चेतना भाषित हो रही थी। १० बजे सभी प्रशिक्षक मुरुकुल वापस पूर्चे।

१०-३० से १२-३० बजे तक श्री सुरेशचन्द्र त्यागी, प्रिसिपल विज्ञान विभाग ने प्रीढ़ शिक्षा की समस्या का समाधान सरल तथ्यों के द्वारा किया। श्री त्यागी जो ने अत्यन्त उत्तरदायी तरीके से इस कार्यक्रम को चलाने का निर्देश दिया जो प्रशिक्षकों की समझ में आ गया।

८-८-८४—

आज समापन समारोह वेदमंदिर के भव्य भवन में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम समारोह के मुख्य अतिथि का गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय के ब्रह्मचारी श्री हरिश्चकर व उनके साथियों ने वैदिक गान गाकर स्वागत किया। इसके बाद प्रशिक्षकों ने मातृभूमि की बन्दना एक गीत गाकर की। मुख्य अतिथि श्री आचार्य प्रियद्रष्ट जी का माल्यार्पण किया गया। उन्होंने कहा कि अग्रेजी शासनकाल से ही शिक्षा का उद्देश्य सर्विस करना रहा है। प्रीढ़ शिक्षा को वेद-मत्रों के आधार पर अनिवार्य बताते हुए आचार्य जी ने संकल्प देकर कहा कि इस कार्य-क्रम को साहस के साथ चलाना चाहिए। शान्ति-पाठ के बाद प्रशिक्षकों को आशीर्वाद दिया। यह १ अगस्त से चल रहा आयोजन अत्यन्त उत्साह के बातावरण में सम्पन्न हुआ। इसमें उन्नीस प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

संयोजक
प्रीढ़ शिक्षा-विभाग
गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय
हरिद्वार।

अनुदान आयोग की अध्यक्ष गुरुकुल में

हरिद्वार, गुरुकुल काशडी विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षकों तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों द्वारा आयोजित सभा में स्वागत-समारोह का उत्तर देते हुए जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्ष श्रीमती माधुरी शाह ने स्वामी श्रद्धानन्द की राष्ट्रीय आन्दोलन के मूल से की गई सेवाओं तथा शिक्षा क्षेत्र में दी गई नवीन दिशाओं का उल्लेख करते हुए, गुरुकुल के उद्देश्य को स्पष्ट किया तो तालियों की गडगडाहट में जैसे काल अपनी गति को ही भूल गया। उन्होंने कहा कि गुरुकुल विश्वविद्यालय के सुरम्य, शान्त बातावरण को देखकर जहाँ मुझे प्रसन्नता हुई है, वहाँ इसकी जैकिक प्रगति तथा स्थायित्व को देखकर भी मुझे सतोष हो रहा है। मेरी इच्छा है कि विश्वविद्यालय के अधिकारी आगामी २५ वर्षों तक की योजनाएँ बनाकर आयोग को दे, हम वरीयता को दृष्टि में रखते हुए इस संस्थान के विकास के लिये हर सम्भव सहायता देंगे। गुरुकुल से प्रारम्भ से ही प्राचीन परम्परा तथा आधुनिकता का, वैदिक ज्ञान तथा आधुनिक विज्ञान का समन्वय रहा है। मैं चाहती हूँ कि एक और प्राचीन भारतीय विद्याओं के, विशेषता, वैदिक साहित्य के, उच्चतर अध्ययन और अनुसन्धान के अद्वितीय केन्द्र के रूप में जहाँ इसका विकास हो, वहाँ इसमें सवणक विज्ञान के आधुनिकतम पाठ्यक्रमों का भी सपावेश होना चाहिये। प्राचीन दुर्लभ पाण्डु-लिपियों के संरक्षण की दिशा में भी विशेष प्रयत्न होना चाहिये तथा व्यवसायोन्मुख और प्रसार शिक्षा के लिए कार्य होना चाहिये। अन्य विश्वविद्यालयों से इसका अपना विशिष्ट व्यक्तित्व है। अत उस व्यक्तित्व की रक्षा करते हुए, इसकी स्थापना के मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, आप लोगों वो आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में रचनात्मक योग देना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कन्या गुरुकुल तथा स्त्री शिक्षा के लिये भी आयोग, विश्वविद्यालय को यथासम्भव सहायता देगा।

इससे पूर्व विश्वविद्यालय की प्रगति का विवरण देते हुए कलपति श्री बलभद्र कुमार हुजा ने, जहाँ विश्वविद्यालय द्वारा सचालित वैदिक कार्यग्राला, जीवन-मूल्य और समाज के अन्त सम्बन्धों पर आधित राष्ट्रीय संगोष्ठी, वैदिक योग केन्द्र, काशडी ग्राम विकास योजना तथा गगा प्रदूषण अध्ययन योजना की उपलब्धियों पर प्रकाश ढाला, वही जनोपयोगी दृष्टि से विज्ञान के लिये किये गये कार्यों का भी परिचय दिया। विश्वविद्यालय के प्रकाशनों को देखकर श्रीमती शाह ने सतोष प्रकट किया। स्मरण रहे, पुराविद्याओं की दृष्टि से गुरुकुल का पुस्तकालय उत्तर भारत में अपना विशिष्ट स्थान रखता है।

—मोपाल सिंह
एम० ए० (प्रथम वर्ष)

निकष पर

(पुस्तक-समीक्षा)

पुस्तक-परिचय	— वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त (तीन भाग)
लेखक	— आचार्य प्रियब्रत वेदवाचस्पति
	पूर्व-कुलपति, गुरुकुल कागड़ी
	विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
प्रकाशक	— मीनाथी प्रकाशन, बेगम बिज, मेरठ
पृष्ठ संख्या (तीनों भाग)	— १५००
मूल्य	— २४० रुपये

'वेदों के राजनीतिक सिद्धान्त' नामक प्रस्तुत ग्रन्थ एक अनुसन्धानात्मक ग्रन्थ है। भारतीय आर्य-परम्परा में सभी ऋषि-मुनि और आचार्य वेद को विविध विद्या-विज्ञानों से युक्त मानते आये हैं। महर्षि व्यास और आचार्य शकर की सम्मति में तो वेद इतना अधिक ज्ञान-विज्ञान का सागर है कि उन्होंने वेद की विद्यमानता को ईश्वर की सिद्धि में एक युक्ति के रूप में उपस्थित किया है। उनकी सम्मति में वेद का रचयिता सर्वज्ञ परमात्मा ही हो सकता है। मनु ने कहा है कि वेद को जानने वाला व्यक्ति सेनाओं का सघटन और सचालन कर सकता है, राज्यों का सचालन कर सकता है, न्याय-व्यवस्था का सचालन कर सकता है, और सारी धरती के विशाल राज्य का भी सचालन कर सकता है। ऐसा कोई प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है, जिसमें वेद के आधार पर और वेद के अपने शब्दों में वेद में वर्णित किसी विद्या-विज्ञान को प्रदर्शित किया गया हो। प्रस्तुत ग्रन्थ में वेद के आधार पर और वेद के अपने शब्दों में वेद में वर्णित राजनीति-विज्ञान को विस्तृत रूप में दिखाया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि वेद में सर्वांगीण राजनीति शास्त्र का वर्णन है।

ग्रन्थ के संविधान काण्ड, अध्युदय काण्ड और प्रतिरक्षा काण्ड में तीन भाग हैं। ग्रन्थ में छोटे माण्डलिक राज्यों से सेकर सारी धरती के चक्रवर्ती राज्य (विश्वराज्य) तक के निर्माण, उनकी सासदो, मत्रीमण्डल, चुनाव-पद्धति, प्रजातन्त्र का स्वरूप, न्याय-व्यवस्था, सिंधियों के राजनीतिक अधिकार, उदार राजनीति, समाज का सघटन और उसकी आधिक व्यवस्था, प्रजाओं के सुख-समृद्धि के उपाय, राष्ट्रवासियों का परस्पर प्रेम सहयोग और सद्भाव, राष्ट्रों को पतन से बचाने के उपाय, संन्य सघटन, शस्त्र-अस्त्र, और युद्धनीति आदि अनेक विषयों के सम्बन्ध में वेद के विचारों को प्रदर्शित किया गया है। यह ग्रन्थ लेखक के २५ वर्ष से भी अधिक समय के अध्ययन, अनुसन्धान और चिन्तन का परिणाम है, तथा अपने प्रकार का सर्वथा मौलिक और पहला ग्रन्थ है। सारे वैदिक-साहित्य में इस प्रकार का दूसरा ग्रन्थ नहीं है।

वेद में अनेक ऐसे राजनीतिक तत्व वर्णित पाये जाते हैं जिनसे आज का राजनीतिक जगद् भी लाभ उठा सकता है। उदाहरण के लिये वेद में एक स्वार्ण पर कहा गया है कि “जनं विभ्रती बुधा विवाचस नानाधमणि पृथिवी यथौकसम्, सहतः धारा द्रविणस्य मे दुहा ध्रुवेव षेनुरनपस्फुरन्ती” अर्थात् यदि कभी किसी राष्ट्र में अनेक भाषाओं को बोलने और अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहने लग जायें तो उन्हे इस प्रकार परस्पर प्रेम से मिल कर रहना चाहिये जिस प्रकार एक घर के लोग प्रेम से मिल कर रहा करते हैं। ऐसा करने से राष्ट्र की भूमि राष्ट्रवासियों के लिये धन-सम्पत्ति और कल्याण-मयन की हजारों धाराओं को बहाने लगेगी, जिस प्रकार दुधारु गाय दूध की धाराये बहाती हैं। भाषाओं और धर्मों के नाम पर दुरी तरह अवान्त और सकट-ग्रस्त आज के भारत के लिये वेद का वह उपदेश कितना सामयिक और उपयुक्त है। इस प्रकार वेद के राजनीति विज्ञान को अपने इस ग्रन्थ से उद्घाटित करने और उसे जनता के समुख लाने के प्रयत्न द्वारा लेखक ने प्राणिमात्र की महानी सेवा की है।

महान् हुतात्मा दिवशत् श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के चरणों में बैठकर, गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार में लेखक ने जो दीर्घकाल तक संस्कृत और वैदिक साहित्य का गम्भीर अध्ययन किया है, उसी का परिणाम यह विशाल मौलिक ग्रन्थ है।

—बलभद्र कुमार हुजा

कुलपति

गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार।

X

X

X

पुस्तक का नाम	—	“संस्कृत काव्यशास्त्र पर भारतीय दर्शन का प्रभाव”
लेखक	—	अमरजीत कौर
प्रकाशक	—	भारतीय विद्या प्रकाशन, १-पूँछी०, जवाहरनगर, बंगलो रोड, दिल्ली -११०००७ (भारत)
संस्करण	—	प्रथम, १९६८
पृष्ठ संख्या	—	२६०
मूल्य	—	₹५०-०० हरपये

प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य संस्कृत-काव्यशास्त्रीय तत्त्वों पर भारतीय दर्शन-पद्धतियों के प्रभाव का आकलन एवं मीमांसा करना है। प्रस्तुत ‘संस्कृत-काव्यशास्त्र भारतीय दर्शन की विविध पद्धतियों से प्रभावित रहा है। उसने अनेक दार्शनिक विचारों एवं सिद्धान्तों को अपनी आवश्यकतानुसार ढालकर ग्रहण किया है। अतएव संस्कृत किंवा भारतीय काव्यशास्त्र को भलीभांति हृदयज्ञम् करने के लिए भारतीय दर्शन की पृष्ठभूमि का सम्यक् ज्ञान अनिवार्य है। काव्यशास्त्र के प्रसङ्ग में भारतीय दर्शन की पृष्ठभूमि के तन्तु संस्कृत काव्यशास्त्रीय मूल-ग्रन्थों तथा टीका-टिप्पणियों में विद्वारे पढ़े हैं। मूल-ग्रन्थों तथा टीका-टिप्पणियों में विकीर्ण इस सामग्री के मूल आधार को तत्तदर्दर्शनशास्त्र के मूल-ग्रन्थों में खोजकर आधुनिक पाठक के समझ उपस्थित करना और उसकी मीमांसा करना अपने-आपमें एक महत्वपूर्ण कार्य है। उदाहरणार्थ, जन्दवृत्तियों को समझने के लिए वाक्यवादी मीमांसकों के वाक्य तथा तात्पर्य के सिद्धान्त का ज्ञान, अनुमान ही में ध्वनि का अन्तर्भाव करने वाले महिमभट्ट एवम् अन्य नैयायिक आचार्यों के हृदयों को समझने के लिए नैयायिकों की अनुमान-प्रक्रिया तथा न्यायशास्त्र की पारिभाषिक जटावली का सम्यक् वोध, सङ्केतश्चह के प्रसङ्ग में पतञ्जलि, भर्तृहरि आदि वैद्याकारणों के जाति, गुण, क्रिया तथा यदृच्छा के सिद्धान्त, जातिमद्वयवित्वादी नैयायिकों की धारणा, जातिवादी मीमांसकों के सिद्धान्त तथा बौद्धों के अपोहवाद का सुपरिचय आवश्यक है। इसी प्रकार रस-सिद्धान्त के सम्यक् अवबोध के लिए साक्ष्य के सत्कार्यवाद, शैवदर्शन तथा वेदान्तदर्शन के मूलभूत सिद्धान्तों का ज्ञान अपेक्षित है। काव्यशास्त्र में व्याकरण-शास्त्र, कामशास्त्र, धर्मशास्त्र आदि की उपयोगिता भी कम नहीं है। यद्यपि काव्यशास्त्र को पल्लवित, पुष्पित तथा फलित करने में प्रायः सभी शास्त्रों का न्यूनाधिक योग रहा है तथापि दर्शनशास्त्र तथा व्याकरण ने उसे सर्वाधिक प्रभावित किया है। अत एवं काव्यशास्त्र पर दार्शनिक प्रभाव का अध्ययन अत्यन्त उपादेय तथा महत्वपूर्ण है। काव्यशास्त्र के प्रसङ्ग में भारतीय दर्शन की विविध शाखाओं की पृष्ठभूमि का एकत्र सङ्कलन एवं समालोचन कदाचित् सर्वप्रथम

प्रस्तुत पुस्तक ही में हुआ है, यद्यपि छिटपुट लेख इस विषय में लिखे जाते रहे हैं।

डॉ अमरजीत कौर की यह पुस्तक पाँच अध्यायों में विभक्त है, जिनके बाद तीन परिशिष्ट, सहायक ग्रन्थसूची एवं नामपदानुक्रमणी दी गई हैं। इसके “साहित्यशास्त्र एव दर्शन” नामक प्रथम अध्याय में लेखिका ने काव्यशास्त्र का तर्कशास्त्र, पूर्वमीमांसा एवम् अन्य दर्शनों से सम्बन्ध निर्दिष्ट कर धर्मकीर्ति, भामह, दण्डी, मुकुलभट्ट, अभिनवगुप्त, महिमभट्ट, भोज, हेमचन्द्र, शोद्धोदनि, अप्ययदीक्षित तथा पण्डितराज जगन्नाथ इन दार्शनिक आलङ्कारिकों द्वारा अपने काव्यशास्त्रीय प्रन्थों में अपने दार्शनिक चिन्तन का उपयोग सङ्केतित किया है। “रस-विवेचन का दार्शनिक आधार” नामक द्वितीय अध्याय में रससंज्ञा की औपनिषद पृष्ठभूमि प्रदान करने के बाद रसनिष्पत्तिविषयक भट्टलोलट के उन्पत्तिवाद अथवा आरोपवाद, श्रीशङ्कुके अनुमित्तिवाद, भट्टनायक के भुक्तिवाद तथा अभिनवगुप्त के अभिव्यक्तिवाद, रस की साध्यवादी व्याख्या, रसमीमांसा में वेदान्तीकरण, रसस्वरूप और प्रमुख रसों पर दार्शनिक प्रभाव आदि का अध्ययन किया गया है। तृतीय अध्याय “काव्यात्ममीमांसा का दार्शनिक आधार” में दर्शन में आत्मा के विवेचन के सङ्केत के पश्चात् विदुषी लेखिका ने काव्यशास्त्र में काव्यात्मा के रूप में स्वीकृत रीति, ध्वनि, रस, वक्तोक्ति तथा औचित्य तत्त्वों के दार्शनिक मूल का सफल अन्वेषण किया है। “गददशक्तिमीमांसा का दार्शनिक आधार” नामक चतुर्थ अध्याय में दर्शन में शब्दार्थ-विवेचन के सङ्केत के बाद काव्यशास्त्र में अधिधा तथा सङ्केतश्रह विषयक विभिन्न मतों तथा काव्यशास्त्रद्वारा वेदाकरणों के अनुगमन, लक्षण एव लक्षणभेदों और तदविषयक दार्शनिक मतों, तथा व्यञ्जनाकी मीमांसा की गई है। व्यञ्जनाप्रसङ्ग में तात्पर्य तथा अनुमित्तिसिद्धान्त का और अधिक स्फुट एवं निषेक विवेचन अपेक्षित था। “अलङ्कार-निरूपण का दार्शनिक आधार” नामक पञ्चम अध्याय में काव्यशास्त्रगत अलकार-वर्गीकरण के दार्शनिक आधार के निरूपण के बाद अर्थात्तरस्यास, अर्थापत्ति, अनुमान, अभाव, असङ्गति, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, उपमा, उपमान, ऐतिह्य, काव्यलिङ्ग, जाति, दृष्टान्त, साम्य, वैयम्य, परिणाम, परिसंख्या, प्रत्यक्ष, शब्दप्रमाण, सम्भव, सम्भावना, स्मृति, सशय, सूक्ष्म, स्वभावोक्ति इन अलकारों की दार्शनिक पृष्ठभूमि का विवेचन किया गया है। परिशिष्टों में प्रथम में काव्यशास्त्र में प्रयुक्त दार्शनिक शब्दावली का परिचय दिया गया है, जो यदि और अधिक विस्तृत रहा होता तो अच्छा होता। द्वितीय में काव्यशास्त्र में उपलब्ध दर्शनशास्त्र की अभिव्यक्तियाँ और तृतीय में काव्यशास्त्र में दर्शनशास्त्र के भावों को अभिव्यक्त करने वाली अभिव्यक्तियाँ सकलित की गई हैं। इस प्रकार इस पुस्तक में काव्यशास्त्रीय तत्त्वों एवं सिद्धान्तों की दार्शनिक पृष्ठभूमि

का सयत शब्दों में सफल आकलन हुआ है। आशा है यह पुस्तक काव्यशास्त्र-
समी पाठकों को पर्याप्त रुचेगी और अत्यन्त उपादेय सिद्ध होगी।

पुस्तक का मुद्रण तथा साज-सज्जा भी उत्तम है, जिसका श्रेय कुशल
प्रकाशक को जाता है।

—मानसिंह

प्रोफेसर एवं अध्यक्ष,

सस्कृत विभाग,

गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार।

X

X

X

पुस्तक-परिचय	—	नागार्जुन
सम्पादक	—	झौ० सुरेशचन्द्र त्यागी
प्रकाशक	—	भाशिर प्रकाशन, सहारनपुर
पृष्ठ संख्या	—	२७६
मूल्य	—	४० रुपये

‘नागार्जुन’ अनियतकालीन पत्रिका ‘सम्पर्क’ का विशेषाङ्क है। इन्दी के प्रख्यात जनवादी कवि वैद्यनाथ मिश्न ‘नागार्जुन’ के अधिकृतत्व और कर्तृव्य पर २८ निबन्ध इसमें सकलित है। कवि के अधिकृतत्व, जीवनी, काव्य-चेतना, सौन्दर्य-बोध, प्रकृति-प्रियता, उपन्यास, लोकतत्त्व, कान्ति-चेतना तथा व्यग्य-हास्य जैसी काव्यप्रवृत्तियों का विशद विवेचन विभिन्न विद्वानों ने अपने लेखों में किया है।

कवि नागार्जुन पर एक और विष्णु प्रभाकर तथा प्रभाकर माच्चे जैसे साहित्यकारों ने तो लिखा ही है, डॉ आनन्दप्रकाश दीशित, डॉ० प्रेमशंकर, डॉ० विश्वनाथ अद्यर तथा डॉ० विश्वभरनाथ उपाध्याय जैसे रसवादी और जनवादी समीक्षकों ने भी लिखा है। विद्वान् सम्पादक ने विभिन्न लेखकों से लिखवाकर नागार्जुन का समग्र मूल्यांकन एक स्थान पर प्रस्तुत करने का कुशल प्रयत्न किया है।

प्रक्रिया में दो परिणाम हैं—(१) नागार्जुन का साहित्य, तथा (२) नागार्जुन की कविताएँ। ये दोनों परिणाम प्रोधायियों के लिए उपयोगी हैं। विवेच्य कवि के साहित्य का वर्णक्रम से वर्णीकरण करते हुए रचनाओं का प्रकाशन संस्थान, पृष्ठ सभ्या, मूल्य तथा संक्षिप्त प्रतिपादा देकर कवि के सुदीर्घ रचना-अन्तराल का परिचय दिया गया है। इस सामग्री से कुछ अज्ञात तथा अत्यज्ञात तथ्यों की प्राप्ति भी होती है। 'युगधारा' का पुनर्मुद्रण १९८२ में हुआ पर इसके प्रथम संस्करण के ज्ञापन से ही प्रतीत होता है कि १९४३ तक कवि 'यात्री' उपनाम से लिखते रहे तथा उनकी प्रथम प्रकाशित रचना 'राम के प्रति' भी जो १९३५ में लाहौर से प्रकाशित साप्ताहिक 'विश्वबन्धु' में छपी थी। मैंविली में प्रकाशित प्रथम रचना 'मिथिला' भी जो १९३० में लहेरिया सराय में छपी थी।

नागार्जुन की कविताओं के वर्णन—वैभव, सास्कृतिक सम्पदा, शोषण-चक्र, मत्ता की असतति तथा जीवन की प्रगतिशील सामाजिक भूमिका को समझने के लिए इस पुस्तक के लेख अत्यन्त उपयोगी हैं। डॉ० विजयबहादुर सिंह का यह कथन उल्लेखनीय है कि हिन्दी की वामपक्षी कविता भले ही मुकितबोध को कलागुरु की उपाधि दे किन्तु अनुसरण वह नागार्जुन का ही करेगी व्योमिक नागार्जुन का सर्जक व्यक्तित्व विविधासम्पन्न और लोक की निकटस्थ पहचान से निखारा हुआ है। नागार्जुन ही एक ऐसे कवि हैं जो कभी भी किसी के द्वारा पालतू या सरकारी बनाए जाने की नियति से बच सके हैं। उनकी भाषा-नामर्थ्य पर डॉ० प्रेमशक्तर के इस निष्कर्ष से कोन असहमति व्यक्त कर सकता है कि कविता के गद्य का संस्करण बनते हुए समय में नागार्जुन की छढ़ और लय की सही पहचान विजेष रूप से हमारा ध्यान अपनी ओर खीचती है—छद पर नियन्त्रण की क्षमता। नागार्जुन की कविता भाषा के आभिजात्य को ललकारती हुई आगे बढ़ती है, जिन्दगी के बीच से पाए गए मुहावरे में अपनी बात कहती हुई, और यही हमें आश्वस्त करता है कि उनकी रचनायात्रा स्वयं को निरन्तर सुदर्भी से जोड़ती रहेगी।

प्रेमचन्द की ग्राम्यचेतना को समाजवादी-चेतना में परिणित कर उन्होंने कृथा साहित्य की रचना को। उन्होंने विहार प्रान्त के १९३५-३६ के सशक्त किसान आन्दोलन को निकट से देखा। गोदान की सुषुप्ति कृपकचेतना बलचनभा में आकर पूर्ण हुकार के साथ जागत हुई। जमीदारी के उन्मूलन के बाद कृषि का आधुनिकीकरण, आद्योगीकरण, पचवर्षीय योजनाएँ, सहकारी समिति, लकड़ी, भूमि सुधार तथा राजनीतिक उथल-गुथल सभी कुछ तो उनके कथा-साहित्य में मिलता है। वर्ग-संघर्ष और सक्रिय नेतृत्व का जो अभाव अन्य प्रगतिशील साहित्यकारों में—विशेषतः प्रेमचन्द में दिखाई पड़ता है—उसको पूर्ण नागार्जुन की रचनाओं

में है। हर्वं है कि इस पुस्तक के लेखकों ने इमानदारी के साथ नायाजुँन की सामूहिक चेतना के साथ न्याय किया है। यशपाल, फणीश्वरनाथ रेणु तथा रामेश राघव से तुलना करते हुए, यथार्थवोध, तीव्रता, सशिष्टता, आक्रोश, प्रतिर्हिसा, प्रतिरोध तथा मध्यकालीन रोमास, रहस्य तथा हृषिकरोध की दृष्टि से नायाजुँन की प्रतिबद्धता पर, सामाजिक लक्ष्य पूर्ति पर इन लेखकों ने गम्भीर दृष्टि डाली है।

अनल कहा जा सकता है कि नायाजुँन को समय रूप से समझने के लिए यह पुस्तक उपादेय है और इस एक कसोटी के आधार पर ही इसकी महत्ता निविवाद स्वीकार्य है। यह पुस्तक पुस्तकालयों में खरीदी जानी चाहिए। हिन्दी के अध्येताओं के लिए तो संयहणीय है ही। संघर्षशील जनता के विपन्न बहुलाश को तथा उसके सह-संवेदनशील चिन्तकों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी, स्वयं नायाजुँन के निजी जीवन की यही शक्ति है। बाबा के ही शब्दों में—

जली ठूँठ की ढाल पर गई कोकिला कूक
बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक।

— विष्णुदत्त 'राकेश'

X X X

पुस्तक का नाम	—	हरियाणा का हिन्दी साहित्य : उद्भव और विकास
लेखक	—	डॉ० शिवप्रसाद गोपल
प्रकाशक	—	नटराज पब्लिशिंग हाउस, करनाल
पृष्ठ	—	१०६
मूल्य	—	४५ रुपये

हिन्दी साहित्य के इतिहास में प्रान्तीय साहित्यकारों के कत्तृव्य का विवरण प्राय उपलब्ध नहीं होता। इधर हिन्दी में शोधोपाधि सापेक्ष तथा निरपेक्ष, दोनों दृष्टियों से भिन्न-भिन्न प्रदेशों के योगदान का स्वतंत्र आकलन और विवेचन हुआ है और इस प्रकार समूर्ण देश की एक साहित्यिक चेतना उजागर हुई है। हरियाणे के प्रसिद्ध गद्य-लेखक बाबू बालमुकुन्द गुप्त तथा पण्डित माधवप्रसाद मिश्र की चर्चा प्राय सभी साहित्यान्वयों में उपलब्ध है, किन्तु १२वीं शती से लेकर आज तक के आठ सौ वर्षों के मुदीर्वं अन्तराल में

लिखे गए ग्रन्थों की चर्चा ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में डॉ० गोयल से पूर्व हिन्दी के किसी विद्वान् ने अपने ग्रन्थ में नहीं की। नाथपर्णी साहित्य, सूक्ष्मी काव्य, वैष्णवभक्ति काव्य, जैन काव्यवाचारा, संत काव्य, शृंगार काव्य तथा हिन्दी ग्रन्थ लेखन की इटिंग से हरियाणे के साहित्यकारों का विवेचन इस कृति में पहली बार हुआ है। यो डॉ० चन्द्रकात बाली ने पजाब प्रानीय हिन्दी साहित्य का इतिहास में कुछ साहित्यकारों का परिचय दिया था तथा हरियाणा के हिन्दी-सेवी पुस्तक में शात जास्ती ने भी विहगावलोकन किया था पर काल-क्रमानुसार प्रवृत्तिमूलक अध्ययन की इटिंग से डॉ० गोयल की रचना साहित्यिक जिजासुओं तथा शोधकर्ताओं के लिए अधिक उपयोगी है।

सुश्रसिद्ध हिन्दी साहित्यितिहास के विद्वान् डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्त के इस कथन से हम सर्वथा सहमत है कि डॉ० शिवप्रसाद गोयल ने इम पुस्तक की रचना करके हिन्दी साहित्य की—विशेषण हरियाणा के हिन्दी-साहित्य की बहुत बड़ी सेवा की है तथा उन्होंने हरियाणा के अनेक जाने-अनजाने साहित्यकारों की कृतियों का मूलांकन करके हरियाणा के गौरव की अभिवृद्धि में योग दिया है। साथ ही मैं यह भी निःसंकोच कह सकती हूँ कि यह रचना हरियाणा के माहित्य-तिहास के जिजासुओं एवं शोधकर्ताओं के लिए भी अत्यन्त उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

पुस्तक की साज-सज्जा आकर्षक है, कहीं-कहीं छापे की चुटियाँ रह गईं हैं। आशा है, आगामी सक्षरण में ठीक कर दी जायेगी। हिन्दी के उद्भवकाल से ही समानान्तर हरियाणा-साहित्यकारों का लेखन नि सन्देह गौरव की बात है। श्रीधर कवि से लेकर डॉ० लक्ष्मीनारायण शर्मा तक का परम्पराबद्ध ऐतिहासिक विवरण जहाँ इस कृति की प्रमुख विशेषता है, वहाँ व्यवस्थित लेखन-योजना तथा स्वच्छ, सरल और सारगम्भ प्रतिपादन-जैली इसकी दूसरी विशेषता है।

डॉ० गोयल इस कृति के लिए बधाई के पात्र है। आशा है, निरन्तर वर्धमान हरियाणा-साहित्य का वह आकलन करते रहेंगे तथा इस कृति को सर्वांग और अद्यतन बनाने का प्रयत्न करते रहेंगे।

— श्रीमती प्रतिमा शर्मा
रिसर्च स्कॉलर (हिन्दी)

पुस्तक का नाम	—	संस्कृत नाटकों का जीव-जगत्
लेखक का नाम	—	डॉ० कृष्ण कुमार
पृष्ठ संख्या	—	२१८
मूल्य	—	८२-०० रुपये
प्रकाशक	—	मर्यंक प्रकाशन, भूषण भवन, मरडी बास, मुरादाबाद।

जीव जगत् का मानव के साथ जो विनिष्ठ सम्बन्ध है, विशेषकर भारतीय संस्कृत में, जहाँ वृक्ष भी देवी का पुत्रत्व प्राप्त कर लेते हैं तथा लताएँ भी अपने स्नेहीजनों के प्रति पृष्ठ एवं फल प्रदान करती हैं, उस साहित्य में जीव-जगत् के विभिन्न रूपों का निर्दर्शन स्वाभाविक ही है।

नाटकों में पशु-पक्षियों का वर्णन इतना विशद नहीं हो सकता जितना कि काव्य में या गद्य-साहित्य में इसका अवसर होता है, क्योंकि अभिनेय होने तथा वर्णनात्मक प्रसंगों की न्यूनता के कारण यह कठिन होता है। परन्तु संस्कृत नाटककारों को जहाँ भी इसका जरा-सा भी अवसर प्राप्त हुआ, उसका उन्होंने पूर्ण उपयोग किया है। अतः जन्तुओं के विभिन्न पक्ष दर्शकों के समक्ष स्पष्ट होते चले गये हैं, फिर भी वे अपना इतना प्रभाव नहीं छोड़ पाते कि जो चिरस्थायी हो सके। इस दृष्टिकोण से नाटकों के जीव-जगत् को एकत्र करना उपादेय है।

प्रस्तुत पुस्तक भास से दिड़नाग पर्यन्त (४०० ई०पू० से १००० ई० तक) लगभग १४०० वर्षों के लम्बे अन्तराल में स्थित भृद्धनाटकों के आधार पर लिखी गयी है। ४१ पृष्ठ की विस्तृत प्रस्तावना, जन्तुओं का मानव से सम्बन्ध, प्राचीन साहित्य में जन्तुओं का उल्लेख, संस्कृत नाटकों में जन्तुओं का उल्लेख, जन्तु-विज्ञान, जन्तुओं का वर्णकरण, जन्तुओं का पालना एवं अलकरण, जन्तुओं के प्रति धार्मिक आस्थाएँ, मानवीय भावनाएँ, कवि प्रसिद्धियाँ, अलंकारों के रूप में उपमान आदि के माध्यम से प्रयोग, मानव के लिए जन्तुओं का उपयोग, इत्यादि सामग्री के माध्यम से अत्यन्त रुचिकर एवं प्रभावकारी बन पड़ी है। पुस्तक का उपयोग इस प्रस्तावना से पर्याप्त बढ़ा है।

विभिन्न जन्तुओं के मानवोपयोग पर भी लेखक ने कृषि, ओजन, वस्त्र और अलंकार आदि के माध्यम से संस्कृत नाटकों की छवि को उभारा है। अनेक स्थानों पर वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्, रामायण एवं महाभारत तथा पुराणों के वाक्यों से उन वर्णनों को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उदाहरणार्थ -

अध्याय में उनके जीवनी तथा कथाप्रक साहित्य का मूल्यांकन हुआ है। सप्तम अध्याय में उनकी कहानियों का संक्षिप्त परिचयपूर्वक विस्तृत विवेचन है। अष्टम अध्याय में उनके काव्यपक्ष तथा भावपक्ष पर विचार हुआ है तथा नवम् अध्याय में परिद्राजक जी द्वारा राष्ट्रभाषा प्रचार और सेवाएँ शीर्षक के अन्तर्गत हिन्दी और ईसाई प्रचारक, हिन्दी और ब्रह्मसमाज, काशी नागरो प्रचारणी सभा और हिन्दी सम्मेलन, गुरुकुल, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ तथा डी०ए०वी० कालेजों को उनका योगदान, भारतेन्दु और उनका मित्रमण्डल, दक्षिणी भारत तथा पञ्जाब में उनके द्वारा हिन्दी प्रचार आदि विषयों का प्रतिपादन है। अन्त में उपसहार के पश्चात् परिद्राजक जी के साहित्य का काल-क्रमानुसार उल्लेख करते हुए तीन पृष्ठों में सहायक-ग्रन्थों की सूची दी गई है। वस्तुतः लेखक ने परिद्राजक जी के व्यक्तित्व एव साहित्यिक उपलब्धियों का इस पुस्तक में अधिकारिक विवेचन किया है।

राजपाल एष्ट सन्ज जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशक द्वारा पुस्तक का प्रकाशित करना ही इस बात का खोलक है कि कार्य अत्यन्त उत्तम तथा जिजासु अध्येताओं के लिए पठनीय तथा संश्लेषणीय है। कागज तथा मुख्यालय अत्यन्त उत्कृष्ट एवं आकर्षक बन पड़ा है।

— राकेश शास्त्री
संस्कृत विभाग,
गुरुकुल काशी विश्वविद्यालय
